Con. 3. VII. 36. 49
250

अंक 7
संख्या 36

शनिवार,
8 जनवरी
सन् 1949 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

मतदाता सूचियां तैयार करने का प्रस्ताव..... 2387-2454

विधान का मसौदा-(जारी)..... 2455-2463

[अनुच्छेद 149 पर विचार]

भारतीय विधान-परिषद्

शनिवार, 8 जनवरी, सन् 1949 ई.

उपाध्यक्ष (डॉ. एच.सी. मुकर्जी) की अध्यक्षता में कांस्टीट्यूशन हाल नई दिल्ली में प्रातः 10 बजे विधान-परिषद् की बैठक हुई।

मतदाता-सूचियां तैयार करने का प्रस्ताव

***उपाध्यक्ष** (डॉ. एच.सी. मुकर्जी): कार्यावली में दिया हुआ विषय यह है कि सभापति की ओर से एक प्रस्ताव उपस्थित किया जायेगा।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): एक औचित्य सम्बन्धी प्रश्न है श्रीमान्, क्या मैं आपसे यह निवेदन कर सकता हूं कि आप हमें यह बताने की कृपा करें कि हमारी परिषद् की कार्य-प्रणाली के किस नियम के अनुसार यह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पेश किया जा रहा है? मेरी जानकारी में परिषद् के नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जा सके। अतः श्रीमान्, हम यह जानना चाहते हैं कि किस असाधारण प्रावधान अथवा नियम के अन्तर्गत इस प्रणाली को ग्रहण किया जा रहा है क्योंकि मैं पूर्ण विनम्रता के साथ यह कहूंगा कि जिस प्रस्ताव का मसौदा आज इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है वह केवल आलोचना का ही विषय नहीं है वरन् उसमें केवल मसौदा सम्बन्धी त्रुटियों को ही नहीं बल्कि सार सम्बन्धी त्रुटियों तक को सही करने की गुंजाइश है। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप हमें यह बता दें कि क्या कोई ऐसा नियम है जिसको हम स्वीकार कर चुके हों और जो अध्यक्ष को इस प्रकार के प्रस्ताव रखने का अधिकार प्रदान करता हो और यह भी बतावें कि अध्यक्ष द्वारा पेश करने पर क्या इस प्रस्ताव पर सारी आलोचना और पर्यालोचना बन्द हो जायगी।

---

*इस चिन्ह का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

***श्री रोहिणीकुमार चौधरी** (आसाम : जनरल): क्या मैं भी आपसे यह निवेदन कर सकता हूं कि आप कृपा कर इस बात पर प्रकाश डालें कि क्या इस प्रस्ताव पर कोई संशोधन रखा जा सकेगा क्योंकि इस प्रस्ताव में कुछ विवादास्पद विषय भी हैं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल : जनरल): मैं भी यह समझता हूं कि इस संकल्प में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। यदि यह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पेश किया जायेगा तो हमारे लिये उस पर कोई संशोधन प्रस्तुत करना अथवा उस पर पर्यालोचन तक करना असम्भव हो जायेगा। मैंने सर बी. एन. राउ को कुछ संशोधनों का सुझाव दे दिया है। इन परिस्थितियों में यह बहुत ही अच्छा होगा कि किसी मंत्री द्वारा इस संकल्प को पेश करने दिया जाये जिस से कि हम इस विषय पर पर्यालोचन कर सकें। यह बहुत ही संतोषजनक होगा।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रान्त और बरार: जनरल): श्रीमान्, मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सभा ऐसा संकल्प पारित करने की क्षमता रखती है जिसे आप प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि धारा 291 के अनुसार अधिराज्य की संसद् ही मताधिकार और निर्वाचन सम्बन्धी आदेश निकाल सकती है। श्रीमान्, आपको याद होगा कि हमारे अध्यक्ष ने, मुझे यह नहीं मालूम की किस अधिकार से, भाषावार प्रान्त बनाने के विषय पर विचार करने के लिये एक कमीशन नियुक्त करने का आदेश निकाला था। उस पर मेरे मित्र श्री भारती ने यह दावा किया था और अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था कि धारा 290 के अन्तर्गत प्रान्तों का निर्माण केवल भारतीय सरकार तथा अधिराज्य की संसद् द्वारा ही किया जा सकता है। श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सभा को भारतीय सरकार की धारा 291 के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान के होते हुए इस प्रकार के संकल्प को जिसको आप प्रस्तुत करने वाले हैं पारित करने का अधिकार है।

***पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्र** (पश्चिमी बंगाल : जनरल): श्रीमान्, अभी तक दो विशिष्ट बातें उठाई गई हैं एक मेरे माननीय मित्र श्री कामत द्वारा और दूसरी मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा द्वारा। श्री कामत यह चाहते हैं कि आप उस विशिष्ट नियम को बतायें जिसके द्वारा आपको इस प्रकार के प्रस्ताव रखने का अधिकार हो जो आज के कार्यक्रम में दिया हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि यह

एक सुनिश्चित प्रणाली है कि कभी-कभी सभा की अनुमति से अध्यक्ष प्रस्ताव पेश कर सकता है। हमारे समक्ष अभी हाल का एक उदाहरण है जब कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अध्यक्ष पद से मि. मुहम्मदअली जिन्ना की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव पेश किया था। यह उदाहरण हमारे सामने है और मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के रखने में अध्यक्ष के लिये कोई रुकावट नहीं है; यद्यपि व्यक्तिगत रूप में मैं यह पसन्द करता हूं कि डॉ. अम्बेडकर अथवा अन्य कोई व्यक्ति इस प्रस्ताव को पेश करे।

श्री सिधवा द्वारा उठाई गई दूसरी बात के सम्बन्ध में मैं समझता हूं और मुझे यह विश्वास है कि इस बात में सभा मुझसे सहमत होगी कि चूंकि यह सभा सम्पूर्ण सत्तायुक्त है अत: इस सम्पूर्ण सत्तायुक्त सभा के मार्ग में इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत करने में कोई रुकावट नहीं है। यह सत्य है कि विधायी-परिषद् के रूप में इस विधान-परिषद् को इस प्रकार का आदेश पारित करने की क्षमता है। परन्तु विधान-निर्मातृ-परिषद् के रूप में विधान-परिषद् को विधायी-परिषद् की अपेक्षा अधिक वृहद् तथा व्यापक अधिकार है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ठीक है और प्रान्तीय सरकार को आगामी निर्वाचनों से सम्बन्धित आवश्यक प्रारम्भिक कार्रवाइयों के करने का अधिकार प्रदान करने के संकल्प को पारित करना इस सभा की कार्य क्षमता के पूर्णतया अन्तर्गत है। अत: मैं समझता हूं कि दूसरी बात जिसे श्री सिधवा ने उठाया है उसमें कोई महत्त्वपूर्ण सार नहीं है।

श्रीमान्, श्री सिधवा ने भाषावार प्रान्त निर्माण करने के कमीशन की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक और प्रश्न उठाया था। यह सत्य है कि इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। एक वर्ग का यह मत है कि यह सामर्थ्य के परे की बात है। मैं उस प्रश्न के औचित्य तथा कमीशन नियुक्त करने के आदेश के औचित्य में नहीं जाना चाहता हूं। पर मैं यह बताना चाहूंगा कि उस आशय का कोई भी प्रस्ताव विधान-परिषद् मे पेश अथवा पारित नहीं किया गया था। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। यहां तो प्रश्न ही सर्वथा भिन्न है। यहां तो यह सभा, यह विधान-परिषद् एक संकल्प द्वारा प्रान्तीय सरकारों को कुछ काम करने के लिये अधिकार दे रही है और मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई भी गैर कानूनी अथवा नियम विरोधी बात नहीं है।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, एक व्याख्या सम्बन्धी बात पर मैं केवल यही कहूंगा कि शोक प्रस्ताव और इस प्रकार के प्रस्ताव में जमीन आसमान का फर्क है। (*हंसी*)

***श्री आर. वी. धुलेकर** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): श्रीमान्, मैं यह निवेदन करता हूं कि एक सर्वसत्तायुक्त सभा विधान-मण्डल को आदेश दे सकती है। यह विधान-परिषद् अपने विधायी पक्ष को इस संशोधन के पारित करने का आदेश दे सकती हैं और इस प्रकार हम उस कठिन स्थिति से मुक्त हो सकते हैं जो इस समय उत्पन्न हो गई है। यदि अध्यक्ष द्वारा यह संशोधन पेश किया जाता है तो एक ओर तो यह कठिनाई आ जाती है कि संशोधन पेश नहीं किये जा सकते हैं और दूसरी ओर यह आपत्ति है कि इस समय हम यहां पर विधायी सभा के रूप में नहीं बैठ रहे हैं। अतः मैं दो मार्ग बताऊंगा और उनमें से किसी एक का अनुसरण किया जा सकता है। या तो इस प्रस्ताव को विधान-परिषद् के विधायी पक्ष को भेज दिया जाये और या हम इस परिषद् को एक या दो दिन के लिये अथवा केवल एक ही दिन के लिये विधायी-परिषद् के रूप में परिणित कर दें। मैं निवेदन करता हूं कि इन दोनों में से किसी एक मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है।

श्री जगतनारायण लाल (बिहार : जनरल): श्रीमान्, क्या मैं एक तीसरा मार्ग बता सकता हूं। यदि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव पेश किये जाने के बारे में सभा का एक मत नहीं है तो उसे किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश होने दिया जाये और फिर उसे एक सामान्य प्रस्ताव समझा जाये और उस पर वाद-विवाद होने दिया जाये यद्यपि मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर कोई वाद-विवाद करने की गुंजाइश नहीं है।

***पं. ठाकुरदास भार्गव** (पूर्वी पंजाब : जनरल): श्रीमान्, जहां तक प्रस्ताव के गैर कानूनी होने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को पेश करने की अध्यक्ष को पूर्ण क्षमता है। यह एक सम्पूर्ण सत्तायुक्त संस्था है और मैं नहीं समझ पाता हूं कि अध्यक्ष इस प्रकार का प्रस्ताव क्यों नहीं रख सकते हैं। मैं केवल यह चाहता हूं कि सभा इस प्रश्न पर विचार करे कि क्या यही उपयुक्त मार्ग है। सामान्यता अध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रस्ताव रखे जाते हैं जिन पर वाद-विवाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। पर मेरी कठिनाई

तो यह है कि इस प्रस्ताव में बड़े ही विवादास्पद विषय हैं और स्वयं मैंने इस पर दो संशोधन रखे हैं। खण्ड (4) के सम्बन्ध में मेरे संशोधन द्वारा इस बात का प्रयास किया गया है कि शरणार्थियों को अपने इरादे इत्यादि-इत्यादि की घोषणा लिख कर देने के उत्तरदायित्व से न लादा जाये और न उनको कोई ऐसा आदेश दिया जाये। यह बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पचास या साठ लाख लोगों को न्यायालय भेजना और इस प्रकार के घोषणा-पत्र भरवा कर दाखिल कराना आसान काम नहीं है। इसी प्रकार से खण्ड (3) पर मैंने एक संशोधन भेजा है कि 31 मार्च 1948 के स्थान में 31 मार्च 1949 कर दिया जाये।

***उपाध्यक्षः** मैं पारिभाषिक व्यवस्था से अपरिचित हो सकता हूं पर अति विनीत भाव से क्या मैं यह संकेत कर सकता हूं कि जब तक प्रस्ताव को पेश नहीं किया जाये तब तक किसी संशोधन का हवाला नहीं दिया जा सकता है?

पं. ठाकुरदास भार्गवः श्रीमान्, मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं वरन् केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि यदि अध्यक्ष द्वारा इस प्रस्ताव को पेश किया जाता है तो अन्य कोई संशोधन पेश नहीं होने दिया जायेगा। मैं उन लोगों की उत्सुकता को भली प्रकार से समझता हूं जो 1950 में निर्वाचन करना चाहते हैं और मैं भी इसी विचार का हूं कि जितनी जल्दी हो सके निर्वाचन किये जायें। अतः रुकावट डालने की अपेक्षाकृत मैं तो सहायक होना चाहता हूं। पर इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि सभा में संशोधन पेश करने दिये जायें। यदि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाता है तो हम संशोधन पेश नही कर सकेंगे और खण्ड (3) और (4) के बारे में कुछ नहीं कह सकेंगे। अतः अनुग्रहपूर्वक श्री धुलेकर के सुझाव को स्वीकर किया जाये और इस विषय को विधायी पक्ष को भेज दिया जाये या इस सभा द्वारा विधायी पक्ष को एक निदेशक भेज दिया जाये और इस विधान-परिषद् के आदेशानुसार वह सभा इस पर कार्यवाही करे।

***सेठ गोविन्ददास** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): श्रीमान्, जो वाद-विवाद यहां उठाया गया है, मैं उसे नहीं समझ सका हूं। श्रीमान्, मेरा ख्याल है कि वाद-विवाद इस बात पर उठाया गया है.....

***एक माननीय सदस्यः** कृपया हिन्दी में बोलिये।

सेठ गोविन्ददासः मेरे मत से जो विवाद यहां पर खड़ा किया गया है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जो प्रस्ताव यहां पर आप रखना चाहते हैं और प्रस्ताव

[सेठ गोविन्ददास]

में जितनी बातें कही गई हैं, वह करीब-करीब सब हम गत दो या तीन दिन में पास कर चुके हैं। इस प्रस्ताव में केवल यह कहा गया है कि आगे के चुनाव जल्दी सन् 1950 ई. में हो जायें। और वही हमारा उद्देश्य था जब हमने 67 और 148 धारायें यहां स्वीकृत कीं।

यह विवाद उठाना कि सभापतिजी को इस प्रस्ताव को रखने का अधिकार है या नहीं, मैं समझता हूं, निरर्थक है। सभापति के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं और इन अधिकारों का यदि नियमों में उल्लेख नहीं भी हुआ हो तो भी ये अधिकार उसको प्राप्त रहते हैं और समय पर इन अधिकारों का वह उपयोग कर सकता है। फिर यह प्रश्न उठाना कि असेम्बली को इस तरह के प्रस्ताव पास करने का अधिकार है या नहीं, मैं समझता हूं, यह भी निरर्थक है, क्योंकि हम इस बात को मंजूर कर चुके हैं, एक बार नहीं, अनेक बार, कि इस असेम्बली को सारे अधिकार प्राप्त हैं। जब मैं प्रस्ताव की तरफ आता हूं तो मुझे उसमें विवाद की कोई बात नजर नहीं आती। प्रस्ताव में इधर-उधर कुछ सुधार किये जा सकते हैं। वाक्यों और शब्दों को और भी ठीक किया जा सकता है या बिना कोई सुधार के भी प्रस्ताव जैसा का तैसा पास कर दिया जाय तो भी कोई अनर्थ नहीं होगा। जैसा मैंने आपसे कहा है कि इस प्रस्ताव की बातों के हम दो तीन दिन हुए पास कर चुके है, उनका जिक्र इस प्रस्ताव में है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस पर विवाद करने की क्या जरूरत हुई। हमारे पास बहुत काम है और जो प्रस्ताव आपने पेश किया है, उसको हम सब एक मत से पास कर दें।

***श्री एच. वी. कामतः** क्या मैं नियम 25 के उपनियम (2) की ओर संकेत कर सकता हूं जिसमें यह कहा गया है कि सदस्य द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव की सूचना दी जायेगी? श्रीमान्, जब आप अध्यक्ष हैं तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सदस्य नहीं समझा जा सकता।

***उपाध्यक्षः** कदाचित् मेरे लिये यह बड़ा ही कष्ट साध्य कार्य है कि जिस प्रणाली को मैंने अंगीकार करना चाहा था उसकी मुझे रक्षा करनी पड़ी है। पर मैं एक आधारभूत तथ्य को स्वीकार करता हूं और वह यह है कि यह सभा सर्वोच्च सभा है और इस प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता है। इन तथ्यों को मैं नहीं भूल सकता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि यदि इस सर्वोच्च सभा द्वारा यह प्रस्ताव

स्वीकार कर लिया जाता है तो वह स्वयं ही इस कार्यप्रणाली को न्यायसंगत बना देगा। (*धन्य, धन्य*) मेरा यह विचार है।

और फिर मैं यह देखता हूं कि अभी तक दो ही संशोधन आये हैं जिससे यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि इस प्रस्ताव पर लगभग सारी सभा मेरे साथ है। अत: मैं इस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा पेश करने का विचार प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह जानता था कि यहां नियमों और कार्यप्रणाली के कुछ ऐसे धुरंधर पंडित हैं जो अध्यक्ष को इस अतिआवश्यक प्रस्ताव के पेश करने में रुकावट डालने का प्रयत्न करेंगे। इसलिये मैंने एक विवरण तैयार किया है जिसे मैं अब सभा के समक्ष रखूंगा। माननीय सदस्य इस बात में मुझसे सहमत होंगे कि इस प्रस्ताव के पेश करने की तथा पारित करने की आवश्यकता है।

पिछले कुछ दिनों इस विधान-परिषद् में हम अपना ध्यान विधान के मसौदे के उन अनुच्छेदों की ओर देते रहे जो हमारे भावी केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान-मण्डलों की रचना और निर्माण से सम्बन्ध रखते थे। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है यह प्रस्ताव इस विचार से प्रस्तुत किया गया है कि ऐसे आवश्यक निर्वाचक तन्त्र की स्थापना की जा सके जिससे कि निर्वाचक सूचियों और अन्य सम्बद्ध विषयों की तैयारी का कार्य अविलम्ब हाथ में लिया जा सके।

अध्यक्ष के आदेशानुसार विधान-परिषद् के सचिवालय ने इस प्रयोजन हेतु कुछ कार्य आरम्भ कर भी दिया है। कुछ प्रांतों और राज्यों में इस कार्य के प्रथम भाग को अर्थात् प्रारम्भिक सूचियां तैयार करने के कार्य को लगभग पूरा कर लिया है। जिन अनुच्छेदों को अब तक हमने स्वीकार कर लिया है वे उन सिद्धान्तों तथा मूलभूत बातों का निर्धारण करते हैं जिनके अनुसार निर्वाचन कार्य किया जायेगा। पर इतना ही काफी नहीं है। हमें वह समय भी बताना है जिसमें हम निर्वाचनों को समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि नियत तिथि के हिसाब से निर्वाचक सूचियां तैयार करनी होंगी। हमें मतदाताओं की योग्यता इत्यादि का भी अधिकृत रूप में विनिधान करना है।

स्टीयरिंग कमेटी की 5 जनवरी 1949 की बैठक में इस विषय पर विचार किया गया और उस कमेटी ने यह तय किया कि परिषद् के समक्ष इस विषय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये और यदि यह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पेश किया जाये तो उपयुक्त होगा। साथ ही साथ संयोगवश यह प्रस्ताव उन संदेहों को भी दूर

[उपाध्यक्ष]

करेगा जो कुछ क्षेत्रों में उत्पन्न हो गये हैं कि हम नये विधान को शीघ्र लागू करने के बारे में बहुत गम्भीर नहीं हैं और ऐसे संदेह न्यायसंगत न हों।

मुझे सभा को यह और स्मरण कराना है कि जनता उन कठिनाइयों को भली प्रकार नहीं समझ पाती हैं जिनका हमें आज सामना करना पड़ता है। भारत के अनेकों क्षेत्रों से मेरे पास पत्र आ रहे हैं और सभा इस बात से परिचित ही है कि मैं उस सम्प्रदाय का हूं जो पहले अल्पसंख्यक सम्प्रदाय था परन्तु आज वह बहुसंख्यक सम्प्रदाय है। मेरे सम्प्रदाय के सदस्य, जिनके सम्पर्क में मैं रहा हूं, भारत के समस्त भागों से मुझे पत्र भेज रहे हैं कि इतनी देर क्यों लगाई जा रही है। ये लोग उन कठिनाइयों को नहीं समझ पाते हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं अर्थात् सर्वप्रथम भारत के विभाजन के पश्चात् जो विपत्तियां आईं, शरणार्थियों की समस्या, हैदराबाद की विपत्ति, काश्मीर की विपत्ति और फिर देश की आर्थिक स्थिति में व्यापक विशृंखलता। जो इन कठिनाइयों को नहीं समझते वे सोचते हैं कि यह महान् संस्था अपने कार्य में कुछ ऐसे कारणों से देर लगा रही है जो अनुदारता से परिपूर्ण हैं और जिनका मैं उल्लेख करना नहीं चाहता हूं। देश में जो भावना व्यापक है उसकी कुछ जानकारी बहुत से सदस्यों की भी है। अतः यह आवश्यक है कि इन भ्रमों का निवारण किया जाये। यह आवश्यक है कि जनता यह जान ले कि हम लोग जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी चुनाव करने के बारे में गम्भीरता से सोच रहे हैं।

मैं और भी कुछ कहूंगा और वो यह कि मैं एक विशिष्ट राजनैतिक संस्था का व्यक्ति हूं। मैं आशा करता हूं कि सदस्य इस बात को मानेंगे कि इस सभा के कार्य संचालन में अपने राजनैतिक विचारों को मैंने किसी रूप में भी नहीं आने दिया है। उस राजनैतिक संस्था पर अनेकों क्षेत्रों से हमले हुये हैं अतः यह आवश्यक है कि उसकी स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाये। यही कारण है कि अध्यक्ष पद से मैं इस प्रस्ताव को पेश कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसके महत्त्व को समझेंगे और बिना किसी वाद-विवाद और संशोधन के इसे स्वीकार करेंगे। मैं फिर यह कहे देता हूं कि मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं करूंगा। (*हंसी*)

प्रस्ताव यह है :

"Resolved that instructions be issued forthwith to the authorities concerned for the preparation of electoral

rolls and for taking all necessary steps so that elections to the Legislatures under the new Constitution may be held as early as possible in the year 1950.

Resolved further that the State electoral rolls be prepared on the basis of the provisions of the new Constitution already agreed to by this Assemetebly and in accordance with the principles hereinafr mentioned, namely:—

(1) That no person shall be included in the electoral roll of any constituency—

(a) if he is not a citizen of India; or

(b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court.

(2) That 1st January 1949 shall be the date with reference to which the age of the electors is to be determined.

(3) That a person shall not be qualified to be included in the electoral roll for any constituency unless he has resided in that constituency for a period of not less that 180 days in the year ending on the 31st March 1948. For the purposes of this paragraph, a person shall be deemed to be resident in any constituency if he ordinarily resides in that constituency or has a permanent place of residence therein.

(4) That subject to the law of the appropriate legislature, a person who has migrated into a Province or Acceding State on account of disturbances or fear of disturbances in his former place of residence shall be entitled to be included in the electoral roll of a constituency if he files a declaration of his intention to reside permanently in that constituency."

[यह निश्चय किया जाता है कि तत्सम्बन्धी अधिकारियों को मतदाताओं की सूचियां तैयार करने और समस्त आवश्यक प्रबंध करने के लिये आदेश दे दिये

[उपाध्यक्ष]

जायें जिससे कि नये विधान के अन्तर्गत विधान-मण्डलों का निर्वाचन सन् 1950 में शीघ्र से शीघ्र किया जा सके।

आगे यह और निश्चय किया जाता है कि राज्यों की मतदाताओं की सूचियां नये विधान के प्रावधानों के आधार पर, जो परिषद् द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं तथा उन सिद्धान्तों के अनुसार जो यहां दिये गये हैं, तैयार की जाये, अर्थात्.....

(1) किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में नहीं रखा जायेगा–

(क) यदि वह भारत का नागरिक न हो; या

(ख) यदि उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो और किसी अधिकार सम्पन्न न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई हो।

(2) 1 जनवरी सन् 1949 की तिथि मतदाताओं की आयु निश्चित करने के लिये होगी।

(3) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में सम्मिलित किये जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि तारीख 31 मार्च सन् 1948 ई. को समाप्त होने वाले वर्ष में उसने उस निर्वाचन- क्षेत्र में कम से कम 180 दिनों तक निवास न किया हो। इस पैरा के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्र का निवासी समझा जायेगा, जिसमें वह सामान्यतया रहता हो या जिसमें उसका स्थायी निवास-स्थान हो।

(4) समुचित विधान-मण्डल के कानून के आधीन यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वनिवास-स्थान से उपद्रव के कारण या उपद्रव से डर कर किसी प्रान्त या भारतीय संघ में सम्मिलित किसी रियासत में चला गया हो तो वह उस निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा जिसमें अपने स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य का वह लिखित घोषणा-पत्र दाखिल कर दे।)"

***श्री एच.वी. कामत:** श्रीमान्, एक बात के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि दोनों अनुच्छेद 67 (6) और 149 (2) को पारित करने के पश्चात् भी केवल विक्षिप्तावस्था की निर्योग्यता को ही इस प्रस्ताव के पैरा 1 के खण्ड (ख) में क्यों रखा गया है जब कि उन दोनों अनुच्छेदों में अन्य निर्योग्यताएं जैसे कि पातक अथवा भ्रष्ट या अवैध आचरण रखे गये हैं। यह केवल स्पष्टीकरण के लिये है।

दूसरी बात यह है कि आपके प्रस्ताव के पैरा (1) के उपखण्ड (क) में यह दिया गया है कि "किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में नहीं रखा जायेगा यदि वह भारत का नागरिक न हो," परन्तु दुर्भाग्यवश हमने नागरिकता सम्बन्धी अनुच्छेद को अभी पारित नहीं किया है इस कारण मतदाताओं की सूचियां तैयार कराने वाले अधिकारी अथवा गणना करने वाले व्यक्तियों को कठिनाई होगी कि कौन नागरिक है और कौन नहीं।

(श्री रोहिणीकुमार चौधरी बोलने के लिये खड़े हुये।)

***उपाध्यक्ष:** क्या आप इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं? मैं किसी संशोधन अथवा वाद-विवाद के लिये आज्ञा नहीं दे सकता हूं, पर यदि आप श्री कामत द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** मैं एक विषय पर आपका स्पष्टीकरण चाहता हूं। सर्वप्रथम प्रस्ताव के उपखण्ड (1) (ख) में दिया गया है कि "किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में नहीं रखा जायेगा यदि उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो और किसी अधिकार सम्पन्न न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई हो। इसका आशय यह है कि कोई व्यक्ति.....

***उपाध्यक्ष:** मैं किसी प्रकार का वाद-विवाद नहीं होने दे रहा हूं।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** मैं केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूं।

***उपाध्यक्ष:** शान्ति, शान्ति। श्री त्यागी आप आइये।

श्री महावीर त्यागी (संयुक्तप्रान्त : जनरल): श्रीमान्, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी प्रकार के वाद-विवाद की आज्ञा न देने वाले अपने आदेश पर आप कृपा कर फिर से विचार करें। मुझे यह आशा है कि अध्यक्ष के आदेश

[श्री महावीर त्यागी]

के सम्बन्ध में अध्यक्ष से निवेदन करने का मुझे अधिकार है। यदि कोई ऐसा प्रस्ताव है जिस पर समस्त सभा सहमत है तब तो वह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पेश किया जा सकता है। संसद् में केवल ऐसे संशोधन ही अध्यक्ष द्वारा पेश किये जाते हैं। परन्तु यदि प्रस्ताव का विषय ऐसा है कि उसमें संशोधनों का होना उचित है तो उस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा पेश नहीं किया जाना चाहिये। श्रीमान्, मैं यह निवेदन करता हूं कि यह सम्पूर्ण सत्तायुक्त सभा है अत: आपके आज के आदेश को प्रान्तीय विधान-मण्डल उद्धृत कर सकेंगे। भविष्य में भी ऐसे अवसर आ सकते हैं जब कि किसी प्रकार के वाद-विवाद को बन्द करने के लिये अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव पेश किये जा सकेंगे। श्रीमान्, मैं यह निवेदन करता हूं कि इस कार्य से समस्त भारत में एक प्रकार की परम्परा स्थापित हो जायेगी। मैं यह निवेदन करता हूं कि आप कृपा कर किसी सदस्य अथवा किसी मंत्री द्वारा इस प्रस्ताव का प्रस्तुत कराना स्वीकार कर लें जिससे कि यदि कोई सदस्य भाषा अथवा विचार को सुधारना चाहता हो अथवा इसका विरोध करना चाहता हो तो उसे ऐसा करने में कोई रुकावट न हो। मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने आदेश पर फिर से विचार करें या कम से कम यह घोषणा कर दें कि भविष्य में इसको उदाहरणस्वरूप नहीं माना जायेगा।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): श्रीमान्, कदाचित् मैं नहीं बोलता परन्तु कर्त्तव्य मुझे एकाध शब्द बोलने के लिये विवश करता है यद्यपि वे शब्द बहत मधुर नहीं होंगे। मैं निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर वाद-विवाद को दबाने के लिये जिस कार्यप्रणाली को ग्रहण करने के लिये इस समय विचार प्रस्तुत किया गया है वह ऐसी कार्यप्रणाली है कि जिसके बारे में सुना तक नहीं गया है। संसदीय कार्यप्रणाली का जो कुछ ज्ञान मुझे है उसके आधार पर गम्भीरतापूर्वक मैं यह निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष को केवल वही प्रस्ताव प्रस्तुत करन चाहिये जो समस्त सभा को मान्य हो और यदि एक भी व्यक्ति ऐसा है—मैं दो तक के लिये नहीं कह रहा हूं—जो संशोधन पेश करना चाहता है तो अध्यक्ष का कर्त्तव्य यह हो जाता है कि वह उस प्रस्ताव को पेश नहीं करे बल्कि किसी सदस्य को पेश करने के लिये आमन्त्रित करे। यदि वर्तमान सरकार इस प्रस्ताव के पक्ष में है तो वह उसे प्रस्तुत करे परन्तु अध्यक्ष

इस आधार पर कि यह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है वाद-विवाद के दबाने में सहायक न हो।

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): श्रीमान्, टण्डनजी ने जो कुछ भी कहा है मैं उसके एक-एक शब्द का समर्थन करता हूं।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि टण्डन जी जैसे गण्यमान्य व्यक्ति ऐसे निर्दोष प्रस्ताव का विरोध करते हैं और उस पर आक्षेप करते हैं।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन:** मैं प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लूंगा परन्तु वह तो केवल कार्यप्रणाली ही है जिसके प्रति मेरा निवेदन है कि वह मान्य नहीं है और जिसको अंगीकार करने के लिये विचार प्रस्तुत किया गया है।

***पं. ठाकुरदास भार्गव:** लगभग साठ लाख शरणार्थी इसमें आते हैं और उन सबको लिखित घोषणा-पत्र दाखिल करने के लिये और कम से कम प्रति व्यक्ति दो रुपया खर्च करने के लिये विवश किया जायेगा।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** श्रीमान्, आखिर संशोधन द्वारा चाहा क्या गया है?

***माननीय सदस्यगण:** नहीं, नहीं।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** मैं केवल कार्यप्रणाली के विषय पर भाषण दूंगा। श्रीमान्, आपने जिस प्रस्ताव को पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

***माननीय सदस्यगण:** नहीं, नहीं।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** औचित्य सम्बन्धी उठाये गये प्रश्न में कोई बात ही नहीं है। पहले भी अध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रस्ताव पेश किये गये हैं।

जहां तक स्वयं प्रस्ताव का सम्बन्ध है वह तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिये। इस प्रस्ताव को बहुत पहले ही प्रस्तुत कर देना चाहिये था। जनता यह जानना चाहती है कि सभा में क्या हो रहा है। इस सभा की प्रतिष्ठा और इस देश

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

की प्रतिष्ठा को इस बात की आवश्यकता है कि इस प्रकार का प्रस्ताव पेश किया जाये। जितना शीघ्र हम इसे स्वीकार करेंगे उतना ही हमारे लिये अच्छा है।

***श्री अलगूराय शास्त्री** (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये माननीय सदस्य स्वयं ही इस प्रस्ताव को क्यों नहीं पेश करते हैं।

***उपाध्यक्ष:** जब मैंने इस विशेष कार्यप्रणाली को ग्रहण करने के लिये विचार प्रस्तुत किया था उस समय मैंने यह सोचा थे कि सिवा एक माननीय सदस्य के जिसने दो संशोधन भेजे थे बाकी लगभग समस्त सभा मेरे साथ है। अभी जो कुछ हुआ है उससे यह विदित होता है कि बड़ा ही मतभेद है और अधिकांश सदस्यों अथवा कई सदस्यों का यह विचार है कि यह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पेश नहीं होना चाहिये। आखिरकार मैं हूं तो सभा के आधीन ही और मैं इस बात को मानता भी हूं। पर माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो कुछ भी मैंने किया है उसके सम्बन्ध में सदैव सभा की अनुमति प्राप्त कर ली थी। और इससे ज्यादा क्या कि मैंने प्रत्येक कार्य में इस प्रकार की अनुमति प्राप्त कर ली थी। मैं यह मानता हूं कि यहां मैंने सभा के विचारों का गलत अनुमान लगाया। कदाचित् यह इस कारण हुआ कि मैं अब कांस्टीट्यूशन हाउस में नहीं हूं। जो कुछ भी हो ऐसी भावना तो विद्यमान है ही। अत: मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर दे।

***पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र:** आपको नियमानुसार इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ेगा।

***उपाध्यक्ष:** ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रस्ताव के किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश करने के पूर्व मुझे इस प्रस्ताव को नियमानुसार वापस लेना होगा। क्या मुझे नियमानुसार वापस करना पड़ेगा?

***माननीय सदस्यगण:** जी हां, श्रीमान्।

***उपाध्यक्ष:** बहुत अच्छा, सभा की अनुमति से वह वापस लिया गया।

(अनेकों सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये।)

***उपाध्यक्ष:** पंडित नेहरू बोलना चाहते हैं। पंडित नेहरू।

***माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): श्रीमान्, मैं निम्न प्रस्ताव पेश करता हूं:

"Resolved that instructions be issued forthwith to the authorities concerned for the preparation of electoral rolls and for taking all necessary steps so that elections to the Legislatures under the new Constitution may be held as early as possible in the year 1950.

Resloved further that the State electoral rolls be prepared on the basis of the provisions of the new Constitution already agreed to by this Assembly and in accordance with the principles hereinafter mentioned, namely:—

(1) That no person shall be included in the electoral roll of any constituency—

(a) if he is not a citizen of India; or

(b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court.

(2) That 1st January 1949 shall be the date with reference to which the age of the electors is to be determined.

(3) That a person shall not be qualified to be included in the electoral roll for any constituency unless he has resided in that constituency for a period of not less than 180 days in the year ending on the 31st March 1948. For the purposes of this paragraph, a person shall be deemed to be resident in any constituency if he ordinarily resides in that constituency or has a permanent place of residence therein.

(4) That, subject to the law of the appropriate legislature, a person who has migrated into a Province or Acceding State on account of disturbances or fear of disturbances in his former place of residence shall

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

be entitled to be included in the electoral roll of a constituency if he files a declaration of his intention to reside permanently in that constituency."

(यह निश्चय किया जाता है कि तत्सम्बन्धी अधिकारियों को मतदाताओं की सूचियां तैयार करने और समस्त आवश्यक प्रबंध करने के लिये आदेश दे दिए जायें जिससे कि नये विधान के अन्तर्गत विधान-मंडलों का निर्वाचन सन् 1950 में शीघ्र से शीघ्र किया जा सके।

आगे यह और निश्चय किया जाता है कि राज्यों की मतदाताओं की सूचियां नये विधान के प्रावधानों के आधार पर जो परिषद् द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं तथा उन सिद्धान्तों के अनुसार जो यहां दिए गए हैं, तैयार की जायें, अर्थात्.....

(1) किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में नहीं रखा जायेगा–

(क) यदि वह भारत का नागरिक न हो; या

(ख) यदि उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो और किसी अधिकार सम्पन्न न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई हो।

(2) 1 जनवरी सन् 1949 की तिथि मतदाताओं की आयु निश्चित करने के लिए होगी।

(3) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में सम्मिलित किये जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि तारीख 31 मार्च सन् 1948 ई. को समाप्त होने वाले वर्ष में उसने उस निर्वाचन-क्षेत्र में कम से कम 180 दिनों तक निवास न किया हो। इस पैरा के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्र का निवासी समझा जायेगा जिसमें वह सामान्यतया रहता हो या जिसमें उसका स्थायी निवास-स्थान हो।

(4) समुचित विधान-मण्डल के कानून के अधीन यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्व निवास-स्थान से उपद्रव के कारण या उपद्रव से डर कर

किसी प्रान्त या भारतीय संघ में सम्मिलित किसी रियासत में चला गया हो तो वह उस निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा जिसमें अपने स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य का वह लिखित घोषणा-पत्र दाखिल कर दे।)

इस प्रस्ताव पर मैं केवल एक शंका का निवारण करने के अतिरिक्त और अधिक नहीं कहना चाहता हूं।

किसी माननीय सदस्य ने शायद यह उल्लेख किया था कि सरकार इस प्रस्ताव को पेश कर रही है। वास्तव में सरकार ने स्वयं इस प्रस्ताव को पेश नहीं किया है और न सरकार इस रूप में इस परिषद् में कार्य ही कर रही है। यह प्रस्ताव स्टीयरिंग कमेटी से आया है। यह स्टीयरिंग कमेटी का ही उत्तरदायित्व है। उस कमेटी ने यह विचारा कि वे एक ऐसा प्रस्ताव रख रहे हैं जिसमें वही विषय है जिसे इस सभा ने पहले ही स्वीकार कर लिया है और उसमें कोई नई या अनूठी बात नहीं है और इसी लिये उसने यह सुझाव देने का साहस किया कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद से इस प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं। वह ठीक था या नहीं मैं समझता हूं कि इस विषय में हमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टीयरिंग कमेटी के विचार में यह कभी नहीं आया कि इस प्रस्ताव में कोई भी ऐसी अनूठी बात हो सकती है जिस पर कि आपत्ति की जायेगी।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, सरकार ने कुछ समय पूर्व प्रान्तीय सरकारों को मतदाताओं की सूचियां तैयार करने के लिये कहा था। सच बात तो यह है कि चाहे यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो भी सरकार इन सूचियों को तैयार करने के काम को ले सकती है, पर एक यह कठिनाई हो जायेगी कि बाद में कदाचित् विधान-परिषद् के निर्योग्यता अथवा अन्य बात में परिवर्तन कर देने पर सारी मतदाताओं की सूचियां जो तैयार हो गई हैं या तैयार की जा रही हैं व्यर्थ हो जायेंगी अतः इस विषय पर विधान-परिषद् की इच्छाओं का कुछ संकेत प्राप्त करना वांछनीय था। पिछले कुछ दिनों से यह सभा निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधानों पर विचार कर रही है उसे समाप्त करने के पश्चात् यह प्रस्ताव केवल उन्हीं प्रावधानों का समावेश मात्र करता है।

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

किसी माननीय सदस्य ने इस बात का हवाला दिया है कि खण्ड (1) में केवल दो योग्यतायें अथवा निर्योग्यतायें ही दी गई हैं। इस प्रस्ताव में केवल यही कहा गया है कि विधान-परिषद् ने अब तक जो कुछ निश्चय किया है उस पर विचार किया जाये। उन सब बातों का कहना आवश्यक नहीं समझा गया।

और फिर खण्ड (3) में आप यह देखेंगे कि निवास के सम्बन्ध में एक नियत तिथि दी गई है—अर्थात् 31 मार्च, 1948 में समाप्त होने वाले वर्ष में 180 दिन। यह तारीख वहां केवल इसलिये रखी गई है कि इस आधार पर कुछ सूचियां तैयार कर ली गई हैं और यदि यह तिथि नहीं रखी जाती तो वे सब व्यर्थ हो जातीं और उनको फिर से तैयार किया जाता।

मैंने एक यह आपत्ति सुनी थी, ऐसा मेरा ख्याल है कि मैंने सुना था कि खण्ड (4) के अन्तर्गत अनेकों शरणार्थियों तथा अन्य लोगों को सूची में नाम लिखाना कठिन हो जायेगा। बात यह है कि इस कार्य में कोई कठिनाई अथवा रुकावट पैदा करने का इरादा नहीं है परन्तु किसी न किसी प्रकार का विचार तो प्रकट करना ही पड़ेगा; अन्यथा आप प्रत्येक व्यक्ति का नाम सूची में लिख ही नहीं सकते हैं चाहे वह वहां रहना चाहे, रहने का विचार करे अथवा नहीं। इस विधि को सरल बनाने का कार्य प्रान्तीय सरकारों पर है। मान लीजिये एक व्यक्ति जिसका नाम सूची में लिख लिया जाता है उसका वहां ठहरने का विचार न हो। अत: यहां यह विचारा गया है कि स्थायी निवास-स्थान के सम्बन्ध में किसी न किसी प्रकार के इरादे की घोषणा करनी चाहिये आप यह देखेंगे कि यह खण्ड वास्तव में शरणार्थियों के लाभ के लिये है क्योंकि सामान्यता किसी स्थान में निवास-स्थान इत्यादि के लिये आप कुछ योग्यतायें रखते ही हैं। चूंकि बहुत से शरणार्थी जो यहां आ गये हैं वे उस योग्यता को नहीं रखते हैं इसलिये उनके आने में सुविधा देने के लिये यह खण्ड रखा गया है। शायद कुछ लोग यह समझते हैं कि यह खण्ड एक रुकावट है। यह खण्ड इसलिये रखा गया है कि निवास-स्थान का खण्ड उन पर लागू नहीं होता। यदि निवास-स्थान का खण्ड लागू हो जाये तब तो कोई कठिनाई नहीं है। चूंकि अभी हाल के आने वालों पर निवास-स्थान का खण्ड लागू नहीं होता इसलिये उनको सूची में सम्मिलित करना तब तक बड़ा कठिन हो जाता है जब तक उनके लिये कोई दूसरी शर्त न रखी जाये और वह शर्त यह

है कि भविष्य में निवास करने के इरादे की वे घोषणा कर दे। यदि भूत और भविष्य न हो तो वर्तमान भी नहीं रहता। कोई व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि किस को सम्मिलित किया जाये और किसको नहीं। अत: मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव में जो कुछ भी कहा गया है वह इस सभा ने जो कुछ निश्चय किया है उससे केवल उद्‌भूत ही नहीं वरन् वास्तव में उसी से उद्‌भूत है और सम्मानपूर्वक मैं यह सच कहता हूं कि इस प्रस्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर कोई वाद-विवाद हो। श्रीमान्, मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

***श्री अलगूराय शास्त्री:** श्रीमान्, क्या मैं आपसे यह प्रार्थना कर सकता हूं कि आप मुझे प्रस्तावक महोदय से एक बात स्पष्ट करने के लिये निवेदन करने की आज्ञा देंगे? नागरिकता सम्बन्धी खण्ड अभी तक रुका पड़ा है। जब तक हम इस बात का निर्णय न करें कि भारत का कौन नागरिक है और कौन नहीं तब तक मतदाताओं की कोई सूची किस प्रकार बन सकती है?

***माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू:** मतदाताओं की सूचियां तैयार की जा सकती हैं और तैयार हो रही हैं। नागरिकता के खण्ड पर विधान-परिषद् का भविष्य में चाहे जो कुछ भी निर्णय हो उससे इन सूचियों की तैयारी पर थोड़ा-सा ही प्रभाव पड़ेगा। नागरिकता सम्बन्धी खण्ड का प्रभाव देश के अधिकांश व्यक्तियों पर नहीं पड़ता है। उसका प्रभाव केवल दो प्रकार के व्यक्तियों पर पड़ता है (1) उन लोगों पर जिनको "शरणार्थी" कहा जाता है और (2) वे भारतीय जो भारत से बाहर रहते हैं—जिनको मैं अधिक महत्त्वपूर्ण मानता हूं। वास्तव में इन्हीं लोगों पर इस खण्ड का प्रभाव पड़ता है। जहां तक शरणार्थियों का सम्बन्ध है जो कुछ मैंने अभी कहा था वे उसके अन्तर्गत आ जाते हैं अर्थात् हम किसी भी व्यक्ति को जो अपने आपको भारत का नागरिक कहता है भारत का नागरिक स्वीकार करते हैं। परन्तु भारत से बाहर रहने वाले लोगों के सम्बन्ध में कठिनाई है। चूंकि इस विषय पर परिषद् बाद में निर्णय करेगी। अत: उस समय इनके लिये प्रबन्ध करना कोई कठिन कार्य नहीं है। विधान-परिषद् के निर्णय को जान लेने के पश्चात् उनका प्रश्न उपस्थित होगा। इसके कारण कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ती है। जब तक आप इस बात का निर्णय नहीं करते हैं तब तक के लिये केवल थोड़ा-सा कार्य रुक जायेगा। जैसे ही आप इस बात का निर्णय करते हैं उसी समय उसको अमल में लाया जायेगा।

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

***उपाध्यक्ष:** मैं यह सुझाव रखता हूं कि जो माननीय सदस्य किसी बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं अच्छा हो कि वे अपनी बातों को प्रकट करें जिससे कि हमारे प्रधान मन्त्री उत्तर दे सकें—केवल वे ही लोग बोलें जो किसी बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं।

***श्री महावीर त्यागी:** संशोधनों के बारे में क्या विचार है?

***उपाध्यक्ष:** वे बाद में प्रस्तुत किए जायेंगे। यदि यह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पेश किया जाता तब तो उस पर वाद-विवाद नहीं हो सकता था, परन्तु अब चूंकि सभा के एक माननीय सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया है अत: इस पर वाद-विवाद होगा—लेकिन समय का ख्याल रखते हुए सीमित वाद-विवाद होना चाहिये।

***सरदार भूपेन्द्रसिंह मान** (पूर्वी पंजाब : सिख): एक बात स्पष्ट करानी है। यद्यपि निवास करने के सम्बन्ध में साधारणतया 180 दिन रखे गये हैं परन्तु शरणार्थियों के लिए यह लागू नहीं होगा। उनको तो निर्वाचन-क्षेत्र में केवल स्थायी रूप से निवास करने के अपने इरादे का लिखित घोषणा-पत्र दाखिल करना होगा। इस सम्बन्ध में मैं यह बात स्पष्ट कराना चाहता हूं कि अपने इरादे का लिखित घोषणा-पत्र किसके यहां दाखिल किया जायेगा। यदि उसे किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा-पत्र दाखिल करना होगा तब तो यह स्पष्ट है कि इसमें बड़ा खर्चा और कठिनाई होगी। मैं चाहता हूं इस कार्य में कम से कम खर्चा हो जिससे कि शरणार्थियों को जो अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है उसमें कोई क्षति न हो।

***श्री एच.वी. कामत:** उपाध्यक्ष महोदय,.....

***श्री महावीर त्यागी:** एक औचित्य सम्बन्धी बात है : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस समय जिस प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं वह विलक्षण प्रणाली है। प्रत्येक आपत्ति पर प्रस्तावक महोदय से उत्तर प्राप्त करने से यह आशय निकलता है कि प्रस्तावक महोदय को बहुत से भाषण देने पड़ेंगे और वे प्रश्नों का स्पष्टीकरण करते रहेंगे। मैं सुझाव रखता हूं कि जैसे पहले वाद-विवाद होता था उसी प्रकार वाद-विवाद किया जाये।

***उपाध्यक्षः** असाधारण अवसरों पर असाधारण प्रणाली का अनुसरण होना चाहिये।

***श्री एच.वी. कामतः** मतदाताओं की निर्योग्यताओं के बारे में जो इन नई सूचियों में रखी जायेंगी। मैंने अभी जिस प्रश्न को उठाया था उसको मैं कुछ और अधिक स्पष्ट कराना चाहता हूं। इस प्रस्ताव का खंड (1) (ख) केवल एक ही निर्योग्यता का उल्लेख करता है अर्थात् यदि उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो और किसी अधिकार सम्पन्न न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई हो। परन्तु श्रीमान्, मैं आपका तथा सभा का ध्यान अनुच्छेद 67 (6) की ओर तथा अनुच्छेद 149 (2) की ओर भी आकर्षित करूंगा जिनको यह सभा स्वीकार कर चुकी है। मैं इन अनुच्छेदों में से किसी एक के तत्सम्बन्धी भाग को पढ़कर सुनाऊंगा क्योंकि वे दोनों एक समान हैं। वह भाग जो वर्तमान विषय से सम्बन्ध रखता है इस प्रकार है:—

> "प्रत्येक नागरिक जिसकी अवस्था इक्कीस वर्ष से कम नहीं है और जिसको इस संविधान अथवा संसद् के किसी अधिनियम के अधीन, अनिवास, मनोविक्षेप, पातक अथवा भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर निर्योग्य नहीं किया गया है, ऐसे निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्टर में दर्ज किये जाने का अधिकारी है।"

यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि बाद में संसद् इन निर्योग्यताओं का विनिधान अथवा निर्धारण करेगी। पर श्रीमान्, हमने दो निर्योग्यताओं को ही रखा है—एक अनिवास और दूसरी मनोविक्षेप।

आज के प्रस्ताव के खंड (1) और खंड (3) दो निर्योग्यताओं का उल्लेख करते हैं: एक अनिवास है और दूसरी मनोविक्षेप। मैं यह जानना चाहता हूं कि निर्योग्यताओं की सूची में से अन्य तीन निर्योग्यताओं को अर्थात् पातक अथवा भ्रष्ट या अवैध आचरण को क्यों निकाल दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति जो पहले किसी पातक का अपराधी हो चुका हो अथवा पहले निर्वाचनों में भ्रष्ट या अवैध आचरण का अपराधी हो वह मतदाता रूप में रजिस्टर में दर्ज होने के योग्य समझा जायेगा। क्या वे व्यक्ति जो पहले भ्रष्ट या अवैध आचरण के अपराधी सिद्ध हो चुके हैं, अब शुद्ध अन्तःकरण से कार्य आरम्भ करेंगे अथवा वे किसी प्रकार का प्रायश्चित करेंगे। नये विधान के उपलक्ष

[श्री एच.वी. कामत]

में, जिसे हम ग्रहण करने वाले हैं, क्या वे सब पापों और पातकों से मुक्त घोषित कर दिये जायेंगे और वे निष्कलंक होकर शुद्ध अन्तःकरण से कार्य करेंगे?

स्पष्टीकरण के लिए दूसरा प्रश्न नागरिकता के सम्बन्ध का है। उसका हवाला मेरे मित्र दे ही चुके हैं और मैंने भी इसके पहले इसका हवाला दिया था। यदि यह परिषद् नागरिकता के अनुच्छेद में संशोधन अथवा परिवर्तन करती है तो स्थिति कदाचित् कठिन हो जायेगी। उसका आशय यह होगा कि मतदाताओं की सूचियों में परिवर्तन करने में तत्सम्बन्धी अधिकारियों के लिए और अधिक कार्य बढ़ जायेगा।

मैं केवल यही कहूंगा कि इस सम्बन्ध में मेरी इच्छा किसी से कम प्रबल नहीं है कि निर्वाचन बहुत ही शीघ्र किये जायें। मैं तो इस बात को अधिक पसन्द करता कि इस वर्ष के अन्त में ही निर्वाचन हो जाये जिससे लोगों की यह धारणा न हो सके कि सरकार अपने आपको वर्तमान स्थिति में रखने का प्रयत्न कर रही है। असाधारण कार्यप्रणाली द्वारा आज इस प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता ही न होती।

***उपाध्यक्षः** आपने स्पष्टीकरण चाहा था। मेरा ख्याल है कि उस सम्बन्ध की बातें समाप्त हो गईं।

***श्री एच.वी. कामतः** यदि परिषद् गत मई और अक्तूबर में अधिवेशन कर लेती जैसा कि हमने योजना बनाई थी। परन्तु दुर्भाग्यवश अधिवेशन न हुआ और उसका यह फल है।

***उपाध्यक्षः** यह केवल समय व्यर्थ खोना है। आप स्पष्टीकरण चाहते थे और आपने अपनी बातें रख दी हैं।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, मैंने अपनी बातें रख दी हैं।

(इस समय श्री अलगूराय शास्त्री माइक की ओर चले आ रहे थे।)

***उपाध्यक्षः** कृपया अपनी बारी आने तक ठहरें। श्री चौधरी से भाषण देने के लिये कहा जा चुका है: केवल एक बात स्पष्टीकरण के लिये और कुछ नहीं।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** आज किसी आश्चर्यजनक अनुरूपता के कारण मेरी और मेरे मित्र की बुद्धि समान रूप से कार्य कर रही है। मैं एक बड़ी पुष्ट बात का हवाला देना चाहता था और वह इस प्रस्ताव के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के सम्बन्ध में थी। उपखण्ड (ख) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में नहीं रखा जायेगा। "यदि उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो और किसी अधिकार सम्पन्न न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई हो।"

यदि यह इसी रूप में रहता है तो जब तक किसी अधिकृत न्यायालय की घोषणा नहीं है तब तक किसी भी व्यक्ति को, जिसकी बुद्धि विक्षिप्त है, मतदाताओं की सूची से नहीं निकाला जा सकता है। विक्षिप्त मनुष्यों के लिये यह एक महान् विशेषाधिकार दिया जा रहा है। सामान्यतया हम यह जानते हैं कि प्रत्येक गांव तथा नगर में अमुक नाम का व्यक्ति पागल है। हम यह भली-भांति जानते हैं। परन्तु यदि हम प्रस्ताव के इसी रूप को अमल में लाते हैं तो ऐसे विक्षिप्त मनुष्यों को, जो किसी अधिकृत न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित नहीं किये गये हैं यह अधिकार होगा कि उनका नाम मतदाताओं की सूची में रखा जाये। मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रस्तावक महोदय इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी व्यक्ति को विक्षिप्त घोषित कराना बड़ा कठिन है और उसमें बहुत देर लगती है। हमें अपने जिले के न्यायाधीश के पास जाना होगा और फिर एक क्यूरेटर नियुक्त करने के लिये आवेदन-पत्र भेजना होगा और यह घोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति की बुद्धि विक्षिप्त है। इस कार्य में बड़ी देर लगती है, और यदि हम आज किसी विक्षिप्त मनुष्य को मतदाताओं की सूची से पृथक् करने का कार्य आरम्भ करते हैं तो हमें फौरन ही दीवानी दावा चला देना चाहिये। ऐसी घोषणा के अभाव में ऐसे मनुष्य मतदाताओं की सूची में रह सकते हैं और वे उन सूचियों में रहेंगे। यदि इस प्रस्ताव पर अमल किया जाता है तो यह स्थिति होगी और किसी प्रकार से हम विक्षिप्त मनुष्यों को पृथक् नहीं कर सकते हैं। ऐसी और कोई शर्त नहीं है: ऐसी और कोई बात नहीं है–

***उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य सामान्य वाद-विवाद में पड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे स्पष्टीकरण चाहते हैं।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** यह स्पष्टीकरण के लिये ही है–

क्या आप इस उपखण्ड द्वारा यह चाहते हैं कि जिन विक्षिप्त लोगों को अधिकृत न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित नहीं किया गया है उन सबको मतदाताओं की सूची में रखा जाये?

इस विधान के अन्य स्थलों में हम यह देखते हैं कि इस शब्द को इस रूप में व्यंजित नहीं किया गया है। वहां "विक्षिप्त मनुष्य" कहा गया है। यहां उससे कुछ और अधिक दिया गया है। केवल यही नहीं है कि वह "विक्षिप्त" हो परन्तु यह भी है कि किसी अधिकृत न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान हो।

तत्पश्चात्, श्रीमान्, खण्ड (4) की अन्तिम दो पंक्तियों में यह कहा गया है कि उन लोगों का नाम निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में दर्ज किया जायेगा जो उस निर्वाचन-क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने का लिखित घोषणा पत्र दाखिल करते हैं। मैं नहीं समझ पाता हूं कि हम 'स्थायी' शब्द को क्यों रखें। हम सब जानते हैं कि साधारणतया शरणार्थियों को शरणार्थी शिविरों में रखा जाता है और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता है। आज कोई भी शरणार्थी, उसके इरादे चाहे जो कुछ हों, यह नहीं कह सकता कि वह किसी खास जगह स्थायी रूप से निवास करेगा। अत: मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव में से 'स्थायी' शब्द को निकाल दिया जाये। अन्यथा शरणार्थियों पर बड़ा भारी प्रतिबन्ध लग जायेगा और कोई भी ईमानदार शरणार्थी न तो इस प्रकार की घोषणा कर सकेगा और न निर्वाचक सूची में दर्ज होने का अधिकारी होगा।

तत्पश्चात्, मैं एक और प्रश्न पूछ रहा था और वह यह है कि नागरिकता के अधिकार पर अभी तक वाद-विवाद नहीं हुआ है। क्या हम यह समझ लें कि 'नागरिक' शब्द की व्याख्या उसी प्रकार से की जायगी जिस प्रकार से कि हम साधारणतया इस शब्द को समझते हैं या इस शब्द के साथ कोई पारिभाषिक अर्थ जोड़ा जायेगा? मैं सभा को और कम से कम उन लोगों को जो मेरे समकालीन हैं यह याद दिलाऊंगा कि लीवार्नर द्वारा रचित एक पाठ्य-पुस्तक "भारत के नागरिक" नाम की प्रवेशिका (ऐंट्रेंस) के पाठ्यक्रम में थी। क्या हम उसमें दी

हुई परिभाषा को मानें या नये विधान में किसी परिभाषा के अभाव में साधारण परिभाषा को मानें?

एक और बात है श्रीमान्, और इस सम्बन्ध में मैं विशेषकर '31 मार्च, 1948' शब्दों के प्रयोग का हवाला देता हूं। इसका आशय यह है कि 31 मार्च, 1948 से पूर्व 180 दिवस। मैं समझता हूं कि यदि हम इस रीति के आधार पर गणना करेंगे तो केन्द्रीय परिषद् के अनेकों सदस्य नागरिक अधिकार से वंचित हो जायेंगे क्योंकि हम यहां जनवरी 1948 से अधिवेशन कर रहे हैं।

श्री अलगूराय शास्त्री: श्रीमान्, उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रस्ताव में जो अभी माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया है इस बात के लिये कोई व्यवस्था नहीं है कि निर्वाचन-क्षेत्र कैसे बनेंगे। जब तक निर्वाचन-क्षेत्र का निर्णय न हो और उसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था न कर दी जाये तब तक इलेक्टोरल रोल कैसे तैयार होगा। क्योंकि जो मतदाताओं की सूची बनती है, उसमें उनके नाम किसी न किसी निर्वाचन-क्षेत्र में अंकित होते हैं। जब तक निर्वाचन-क्षेत्र की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक सूची कैसे तैयार होगी। मतदाताओं का नाम किस जगह अंकित होगा यह तो हम एक मर्दुमशुमारी की तरह निर्वाचन सूची बनाने चले हैं। इस प्रकार खास-खास निर्वाचन-क्षेत्रों में उन मतदाताओं का नाम अंकित नहीं हो सकता तो जो हम परिश्रम करेंगे, वह बेकार चला जायेगा। जहां आपको यह चिन्ता है, जहां इस हॉउस को और हम सबको यह चिन्ता है कि चुनाव जल्दी से जल्दी होना चाहिये और उस जल्दी के लिये ही हमने यह प्रस्ताव पेश किया है, वहां ऐसा न हो कि निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्णय न होने के कारण हम इस सूची को ठीक तौर पर तैयार न कर सकें। या अगर उसे तैयार करना शुरू करें तो बाद में वह बेकार साबित हो। इसलिए निर्वाचन-क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था इस प्रस्ताव में आवश्यक है।

पहली बात जो मैंने नागरिकता अर्थात् सिटीजनशिप के सम्बन्ध में पूछी थी, वह पंडित जी ने कुछ साफ कर दी है किन्तु यदि थोड़े से आदमियों के बारे में भी दिक्कत पैदा हो सकती है तो कोई ऐसी व्यवस्था इस प्रस्ताव में होनी चाहिए

[श्री अलगूराय शास्त्री]

कि एक भी मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न किया जा सके, क्योंकि मतदाताओं का यही एक अधिकार है और उन्हें वह अधिकार मिलना ही चाहिये। कोई न कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जो मतदान से वंचित हो जाये। इस सवाल के कारण जो कठिनाई पैदा हो रही है वह अभी साफ नहीं हुई है। इसी प्रस्ताव में कुछ ऐसा अंश शामिल कर देना चाहिये कि जिससे स्पष्ट हो जाये कि निर्वाचन का अधिकार किसको प्राप्त है। जब निर्वाचन-क्षेत्र साफ तौर से निर्दिष्ट हो जाये तो उन्हीं के अन्दर मतदाताओं की सूची तैयार की जायेगी। इस कारण नागरिकता का प्रश्न और निर्वाचन-क्षेत्र का प्रश्न पहले सुलझ जाना आवश्यक है।

यदि यह दो बातें पूरी नहीं होतीं तो मुझे सन्देह है कि जिस मंशा से यह प्रस्ताव रखा गया है वह पूरा होगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में कुछ सफाई हो जानी चाहिये। नागरिकता और निर्वाचन-क्षेत्र मतदाताओं की सूची अर्थात् इलेक्टोरल रोल की आधारशिला है। इनके बिना मतदाताओं की सूची नहीं बन सकती। बन सकती है तो कैसे, वह स्पष्ट होना चाहिए।

***श्री देशबन्धु गुप्ता** (देहली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं औचित्य के जिस प्रश्न को उठाना चाहता हूं वह यह है: प्रस्ताव का दूसरा भाग इस प्रकार है कि मतदाताओं की सूचियां नये विधान के प्रावधानों के आधार पर, जो स्वीकार किये जा चुके हैं, तैयार की जायें, परन्तु अनुच्छेद 149, जो वयस्क मताधिकार इत्यादि से सम्बन्ध रखता है, और अन्य सब प्रावधान अभी इस परिषद् द्वारा निश्चित नहीं किये गये हैं। अत: मैं निवेदन करता हूं कि जब तक अनुच्छेद 149 स्वीकार नहीं किया जाता है तब इस प्रस्ताव को रोक दिया जाये, अन्यथा इस सभा की परिस्थिति बड़ी बुरी हो जायेगी।

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, क्या मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकता हूं?

***उपाध्यक्ष:** मेरा यह आदेश है कि सबसे पहले माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न उठाये गये हैं उनका उत्तर पंडित नेहरू देंगे और उसके बाद हम यह निर्णय करेंगे कि किस प्रकार आगे बढ़ा जाये।

***माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू:** श्रीमान्, बार-बार आने और बार-बार बोलने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है परन्तु यह इच्छा मेरी अवश्य है कि इस सम्बन्ध में जो कुछ भी भ्रम हो उसका निवारण किया जाये। वास्तव में इस प्रस्ताव को पेश करने का मेरा कोई इरादा न था। यह किसी रूप में भी सरकारी प्रस्ताव नहीं है। मैंने समझा कि सरकार के बारे में कुछ भ्रम पैदा हो रहा है और आपने भी यह चाहा था कि कोई व्यक्ति इस प्रस्ताव को पेश कर दे। यदि मुझे आज्ञा हो तो मैं यह कहूंगा कि दो या तीन प्रश्न जो यहां उठाये गये हैं वे किसी भ्रम के कारण ही हैं; क्योंकि मैं स्वयं उन प्रश्नों के महत्त्व को नहीं समझ सका। उदाहरण के रूप में श्री कामत द्वारा एक प्रश्न यह उठाया गया था कि केवल दो निर्योग्यताओं का जिक्र किया गया है अन्य का नहीं। यदि आप प्रस्ताव पर ध्यान देंगे तो उसमें यह कहा गया है कि "रियासतों की मतदाताओं की सूचियां नये विधान के प्रावधानों के आधार पर जिनको यह परिषद् स्वीकार कर चुकी है तैयार की जायेंगी।" यह एक बात है और दूसरी बात यह है कि "सिद्धान्तों के अनुसार"। इसका अर्थ यह हुआ कि विधान में जिनका जिक्र कर दिया गया है वे तो हैं ही और उनके साथ-साथ कुछ और भी हैं जो यहां दिये गये हैं। वे दो बातें हैं: यदि वह भारत का नागरिक न हो और यदि वह विक्षिप्त हो। मैं सभा में यह स्पष्ट स्वीकार करूंगा कि यह कहना कि "यदि वह भारत का नागरिक न हो" कदाचित् अनावश्यक है। मेरा आशय यह है कि यह एक सत्य है; विधान इसी बात पर आश्रित है, और यदि इसको छोड़ दिया जाता है तो कोई अन्तर नहीं पड़ता। मैं यह कहूंगा कि यह वास्तव में बात को घुमा फिरा कर कहना है और इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

श्री रोहिणीकुमार चौधरी ने एक और प्रश्न उठाया था और ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसको कुछ महत्त्व देते हैं। वह प्रश्न मनोविक्षेप के बारे में है.....

***श्री एच.वी. कामतः** एक स्पष्टीकरण सम्बन्धी प्रश्न है। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्यों.....

***माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरूः** इस प्रकार से तो कार्य करना कठिन है। प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्य का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है।

***माननीय सदस्यः** शान्ति, शान्ति।

***माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरूः** क्या मैं सभा में भाषण दे रहा हूं या नहीं?

***उपाध्यक्षः** (कामत को आदेश करते हुये) आप सदैव स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न किया करते हैं।

***माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरूः** क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि स्पष्टीकरण के प्रश्नों की भी सीमा होनी चाहिये कि कोई माननीय सदस्य 10 मिनट में कितने प्रश्न रख सकता है।

***श्री एच.वी. कामतः** यह अध्यक्ष के निर्णय करने का काम है।

***माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरूः** मैं अध्यक्ष से निवेदन कर रहा हूं। व्याख्या और स्पष्टीकरण के बहाने से सभा का बहुत-सा समय ले लिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह वास्तव में सभा के समय का दुरुपयोग करना है।

***श्री एच.वी. कामतः** ये पंडित नेहरू के विचार हो सकते हैं परन्तु श्रीमान्, इसका निर्णय आपको करना चाहिये।

***माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरूः** श्रीमान्, मैं निवेदन करता हूं कि श्री चौधरी के प्रश्न के सम्बन्ध में मनोविक्षेप के बारे में परिषद् ने जो निर्योग्यतायें स्वीकार कर ली हैं, वे वास्तव में मानी जायेंगी जिनमें यह आ जाता है कि "इस संविधान अथवा संसद् के किसी अधिनियम के अधीन, अनिवास, मनोविक्षेप पातक अथवा भ्रष्ट या अवैध आचरण इत्यादि।" यह स्पष्ट है कि विक्षिप्त मनुष्य इस विशेषाधिकार के प्रयोग करने के लिये सामान्यतया अयोग्य समझा जाता है। पर यह कौन निर्णय करे? कानून। और जब कानून बन गया तो सब ठीक है। पर अभी ऐसा कोई कानून नहीं है। यहां जो कुछ कहा गया है वह यह है कि यदि कोई अधिकृत न्यायालय ऐसा निर्णय करता है तो उसको स्वीकार करना चाहिये।

मैं श्री चौधरी के तर्क को ठीक-ठीक न समझ सका। उस ओर से कोई मनुष्य जो कुछ कहता है उसको इधर आसानी से नहीं सुना जा सकता। जो कुछ समझ सका वह यह है कि : क्या प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय में इस घोषणा के लिये जाना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति विक्षिप्त है? मैं नहीं समझ पाता हूं कि क्यों कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाये। कुछ विक्षिप्त मनुष्य सूचियों में दर्ज हो सकते हैं। पर बहुत से मनुष्य जिनकी बुद्धि विक्षिप्त है परन्तु उनको विक्षिप्त घोषित नहीं किया गया है वे वहां पहुंच जाते हैं और केवल मत ही नहीं देते वरन् और भी बहुत से कार्य करते हैं। हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। हम तो केवल इस बात से बचना चाहते हैं कि किसी ईर्ष्या अथवा गलत निर्णय के कारण कोई मनुष्य रह न जाये। मत गिनने वाले के पास कोई आधार होना चाहिये। जो मनुष्य मतदाताओं की सूची तैयार करता है उसे न्यायालय का निर्णय अवश्य मानना चाहिये। शेष व्यक्तियों के लिये यदि विधान-परिषद् कोई और कानून बना दे तो मैं समझता हूं कि अच्छा होगा। पर यह असम्भव है कि न्यायालय का निर्णय न माना जाये। मैं निवेदन करता हूं कि अभी आपके लिये यह कहना कि "किसी अन्य नियम के अधीन जो बनाया जायेगा" आवश्यक नहीं है। यदि यह सभा अन्य नियमों को स्वीकार करती है तो गणना करने वाले को उन्हें मानना पड़ेगा। यह तो मतदाताओं की प्रारम्भिक सूची है। इसकी आप विस्तारपूर्वक व्याख्या नहीं कर सकते हैं। बाद में परिषद् द्वारा अथवा प्रान्तीय परिषदों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, स्वीकृत नियमों के अनुसार इन सूचियों की ज़रूर जांच की जायेगी। परन्तु आरम्भ में अधिक विस्तारपूर्वक इनको नहीं लिया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिये कि जो मनुष्य इनको तैयार करेगा वह साधारण कोटि का गणना करने वाला मनुष्य होगा और उसको अपने अनुभव से कार्य करना पड़ेगा जो कि उसे बहुत अधिक नहीं होगा। उसके बाद उनकी अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा जांच की जायेगी। इस प्रकार सबसे पहले जैसे-जैसे विधान स्वीकृत होता चला जायेगा उसी रूप में विधान में दी हुई निर्योग्यताओं को ज़रूर अमल में लाया जायेगा। यदि आप चाहते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं कि "यदि वह भारत का नागरिक न हो" क्योंकि यह व्यर्थ और निरर्थक है। परन्तु दूसरी बात वांछनीय है क्योंकि

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

मनोविक्षेप के लिये कोई कसौटी नहीं है। और भी अच्छी कसौटी हो सकती हैं। और यह भी ठीक ही कसौटी है कि यदि कोई अधिकृत न्यायालय किसी मनुष्य को विक्षिप्त घोषित कर देती है तो हम उसे मान सकते हैं। यदि न्यायालय की ऐसी घोषणा नहीं है तो हम यह मान सकते हैं कि वह विक्षिप्त हो अथवा न हो। यदि हम आगे और नियम स्वीकार करते हैं तो उनको माना जायेगा।

एक माननीय सदस्य ने यह पूछा कि निवास करने के इरादे का घोषणा-पत्र कहां दाखिल किया जायेगा यह स्पष्ट है कि रजिस्टर में दर्ज करने वाले अधिकारियों के यहां दाखिल किया जायेगा। किसी न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। गिनने वाले के सामने वह घोषणा कर सकता है और गिनने वाला उसका नाम लिख लेगा। बात यह है कि शरणार्थियों के लिये हम इसे जितना सरल और आसान बना सकते हैं उतना सरल और आसान बनाना चाहिये। सबसे सुगम मार्ग यही है कि गिनने वाले को सूचना दे दी जाये।

शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों के बारे में श्री चौधरी ने एक प्रश्न और उठाया था। वह एक न्यायसंगत प्रश्न है। मैं समझता हूं कि उन लोगों के मत देने के लिये कोई विशेष प्रावधान बनाना चाहिए। यकायक मैं यह नहीं कह सकता हूं कि वह प्रावधान क्या होगा। पर मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यह एक न्यायसंगत प्रश्न है और इसके लिये विशेष प्रावधान बनाना चाहिये। यह सच है और इरादा यही है कि वे मतदान करें। शरणार्थी शिविरों में कोई व्यक्ति स्थायी रूप से निवास नहीं करेगा। (*बाधायें*)

***उपाध्यक्ष:** हम और अधिक बाधायें नहीं करने देंगे।

***माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू:** एक महत्त्वपूर्ण विषय है जिससे सम्भव है कि कुछ भ्रम पैदा हो जाये। खण्ड (4) में यह कहा गया है कि "समुचित विधान-मण्डल के कानून के अधीन यदि कोई व्यक्ति अपने निवास-स्थान से इत्यादि, इत्यादि"। 'समुचित विधान-मण्डल के कानून के अधीन' शब्द शंका तथा गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। सभा की और श्रीमान् आपकी अनुमति के अधीन मैं "समुचित विधान-मण्डल के अधीन" शब्दों को हटा कर इस प्रकार कहना चाहता हूं कि "खण्ड (3) में किसी बात के होते हुये भी यदि कोई

व्यक्ति अपने निवास-स्थान से इत्यादि।" खण्ड (4) का उद्देश्य यह था कि खण्ड (3) में दी हुई निवास-स्थान सम्बन्धी शर्तें शरणार्थियों पर लागू न की जायें। मैं समझता हूं कि यह खण्ड इस प्रकार पढ़ा जाये: "(4) खण्ड (3) में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति किसी प्रान्त या भारतीय संघ में सम्मिलित किसी रियासत इत्यादि, इत्यादि।" मैं समझता हूं कि इस परिवर्तन से यह खण्ड स्पष्ट हो जाता है।

***श्री आर.के. सिधवा:** खण्ड (4) पंक्ति 6 में से 'permanently' (स्थायी) शब्द को निकाल दिया जाये।

***माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू:** दो चार हफ्ते के लिये निवास करने का इरादा पर्याप्त नहीं होगा। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यह प्रस्ताव एक प्रकार का निदेशक सा है। मैं सभा से इस बात पर विचार करने के लिए प्रार्थना करूंगा कि यह प्रस्ताव विधान का अंग नहीं है। यह कोई कानून नहीं है। कानून के रूप में इसके शब्दों पर यथार्थ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सरकार को साधारण आदेश दिये गये हैं और वह गिनने वाले तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों को यही आदेश देगी। जैसा कि मैंने कहा था इस प्रस्ताव के बिना भी सरकार इन कामों को कर सकती है, पर वह इस बात के अधीन रहेगी कि यह सभा बाद में कोई नई शर्तें लगा सकती है और उन शर्तों से उन सूचियों में गड़बड़ी हो सकती है जो पहले तैयार की जा चुकी होंगी। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि शिविरों का प्रश्न लोगों के मतदान करने में आड़े नहीं आना चाहिये। परन्तु यदि आप स्थायी शब्द को निकाल देते हैं तो आप इस प्रस्ताव को बहुत ही कमजोर बना देते हैं। कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि "मैं अमुक स्थान में निवास करने का इरादा रखता हूं" और इससे उसका आशय यह हो सकता है कि वह आगामी दो सप्ताह तक वहां निवास करने का इरादा रखता है। यह तो एक तमाशा-सा हो जायेगा। विचार यह है कि यह तो कोई निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता है कि वह अपने शेष जीवन में क्या करेगा पर कम से कम उस क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने का इरादा तो होना चाहिये।

***श्री बिक्रमलाल सौंधी** (पूर्वी पंजाब : जनरल): यह कहा जा सकता है कि "भारतीय संघ में स्थायी रूप से निवास करना।" वह एक शिविर से दूसरे शिविर में जा सकता है।

***माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू:** शिविरों में रहने वाले लोगों के सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार करना चाहिये। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि निवास सम्बन्धी खण्ड उनके आड़े नहीं आयेगा।

***श्री बिक्रमलाल सौंधी:** "स्थायी" शब्द को निकाल देने में क्या हानि है?

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** शिविरों में रहने वाले लोगों के लिये आप "स्थायी" शब्द को छोड़ सकते हैं। यह शब्द उन पर लागू नहीं होता है। उनके लिये कोई मार्ग खोजना पड़ेगा। यदि आप उन लोगों के लिये भी "स्थायी" शब्द को हटा देते हैं जो शिविरों में नहीं रहते हैं अन्य स्थानों में रहते हैं तो अन्य देशों से आये हुये लोग भी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। यह खण्ड तो शरणार्थियों के पक्ष में है।

***श्री बिक्रमलाल सौंधी:** क्या इस घोषणा के लिय सरकारी कागज की आवश्यकता होगी।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** इसका सभा निर्णय करेगी। हम इस काम को सरल बनाना चाहते हैं और सरकारी कागज इत्यादि रख कर उसे कठिन नहीं बनाना चाहते अभी तो मैं इस विषय पर यही कह सकता हूं कि मैं नहीं समझता हूं कि सरकारी कागज की आवश्यकता होगी। मैं नहीं सोच पाता हूं कि सरकारी कागज क्यों आवश्यक है।

***श्री बिक्रमलाल सौंधी:** प्रान्तीय सरकारें इस घोषणा को सरकारी कागज पर चाहती हैं।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** सरकारी कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको सरल बनाने के लिये हम प्रान्तीय सरकारों को यह सूचना दे देंगे कि घोषणा के लिये सरकारी कागज आवश्यक नहीं है।

***श्री एस. नागप्पा** (मद्रास : जनरल): हमारे बहुत से आदमी निरक्षर हैं। यह और भी अच्छा होगा कि घोषणा मौखिक कर दी जाये। (*बाधायें*)

***माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू:** मुझे विश्वास है कि सभा यह चाहती है कि इस कार्य को सरल कर दिया जाये और सरकारी कागज, फीस इत्यादि के

रूप में कोई रुकावट न रखी जाये। प्रान्तीय सरकारों को ऐसे आदेश भेजने के लिये हम सोच रहे हैं। इस समय इसका पूर्ण विवरण देना कठिन है। मैं समझता हूं कि ऐसी हिदायतें भेजी जा चुकी हैं कि इस कार्य के लिये कोई फीस अथवा सरकारी कागज नहीं होना चाहिये।

***पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र:** "निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द को निकाल देना चाहिये। अभी तक हमने निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमायें स्थिर नहीं की हैं। यह कोई नहीं जानता है कि उसका कौन-सा निर्वाचन-क्षेत्र होगा।

***माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू:** "निर्वाचन-क्षेत्र" के स्थान में "क्षेत्र" शब्द रखने को स्वीकार करने के लिये मैं तैयार हूं।

"बुद्धि विक्षिप्त" शब्द रखने के सम्बन्ध में एक बात और है। इस शब्द को वर्तमान भारतीय सरकार के अधिनियम में से लिया गया है। भारतीय सरकार के अधिनियम की छठी अनुसूची में यह कहा गया है कि:

> "किसी भी व्यक्ति को, यदि उसकी बुद्धि विक्षिप्त है और किसी अधिकृत न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, किसी प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाताओं की सूचियों में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा और न वह किसी प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के किसी चुनाव में भाग ले सकेगा।"

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, क्या मैं अपना संशोधन पेश कर सकता हूं?

***उपाध्यक्ष:** आप इतने उतावले क्यों हैं? क्या आपको अध्यक्ष में विश्वास नहीं है?

***श्री महावीर त्यागी:** जिस कार्यप्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है उसमें मुझे विश्वास नहीं है।

***उपाध्यक्ष:** एक बार जब कि आदेश दिया जा चुका है तो आपको उस पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।

***श्री एच.जे. खांडेकर** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): श्रीमान्, आपसे प्रश्न करने का इस सभा को अधिकार है।

***उपाध्यक्ष:** जिन नियमों को उद्धृत करने के आप बड़े इच्छुक हैं वे नियम ही आपको यह बता देंगे कि आप गलती पर हैं।

मैं जानता हूं कि पंडित नेहरू को बाहर जाना है और जो संशोधन मुझे प्राप्त हुये हैं उनको एक-एक करके पेश करने दिया जायेगा और मैं जानता हूं कि मसौदा-समिति के सभापति, जो यहां उपस्थित हैं, उन संशोधनों का उत्तर देंगे। अब मैं श्री रोहिणीकुमार चौधरी से यह पूछना चाहता हूं कि पंडित नेहरू द्वारा जो अभी व्याख्या की जा चुकी है उस व्याख्या पर विचार करते हुये भी वे अपने संशोधन के दूसरे भाग को पेश करना चाहते हैं जो उपखंड (4) के सम्बन्ध में है।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** श्रीमान्, मैं कुछ और अधिक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

***उपाध्यक्ष:** कृपया ध्वनि-यंत्र पर आइये। अब चूंकि वाद-विवाद आरम्भ हो चुका है और संशोधन प्राप्त हो चुके हैं मैं अब और संशोधन नहीं रखने दूंगा। श्री चौधरी।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बई : जनरल): यदि माननीय सदस्य जोर-जोर से नहीं बोलेंगे तो जो कुछ वे कहेंगे उसे सुनना मेरे लिये कठिन होगा।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं:

"कि प्रस्ताव की उपधारा (ख) में से 'and stands so declared by competent court' (और किसी अधिकार सम्पन्न न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई हो) शब्दों को निकाल दिया जाये।"

श्रीमान्, हमें बहुत से निर्वाचनों का अनुभव है और हमने यह देखा कि मतदाताओं की पहली सूचियों में और पहले विधानों ने और यहां तक कि इस विधान में भी जिस पर हम इस सभा में विचार कर रहे हैं कहीं भी "बुद्धि विक्षिप्त" शब्द के साथ ये विशेषण नहीं लगाये गये हैं जो इस प्रस्ताव में दिये हुये हैं और जिन पर मैंने आपत्ति की है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है विक्षिप्त मनुष्यों की संख्या बहुत अधिक है और दुर्भाग्यवश भारत में उनके

भाई उनकी कोई चिन्ता नहीं करते हैं। उनमें से कुछ को, कम से कम उनके पुरुष वर्ग को, हम देखते हैं कि वे स्वच्छन्द घूमते फिरते हैं और अपने लिये तथा अपने सम्बन्धियों के लिये कष्ट पैदा करते रहते हैं। ऐसे और भी हैं विशेषकर स्त्रियां जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं और मुझे यह बताया गया है कि स्त्रियों में विक्षिप्तों की संख्या और भी अधिक है। अभी तक इन विक्षिप्तों में से 99 प्रतिशत लोगों के प्रति किसी अधिकृत न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा विद्यमान नहीं है परन्तु कोई भी व्यक्ति, जिस पर मतदाताओं की सूचियां तैयार करने का प्रभार है, इस बात को भली प्रकार जानता है कि ये लोग विक्षिप्त हैं, पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय जाने का और उनके लिये घोषणा कराने का कष्ट नहीं करेगा।

***उपाध्यक्ष:** आप उन्हीं तर्कों को दुहरा रहे हैं जिनको आप एक बार सभा के समक्ष रख चुके है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यथाशक्ति कम से कम समय लें। सभा को यह विदित ही है कि हम आज अधिवेशन समाप्त कर रहे हैं। सभा को यह भी विदित है कि कम से कम अनुच्छेद 149 को तो हमें समाप्त करना ही है। क्या मैं आपसे एक बार फिर यह निवेदन करूं कि यदि कोई नया विचार है तब तो आप उसे प्रस्तुत करें परन्तु पुराने तर्कों को प्रस्तुत न करें।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** यदि मुझे बोलने दिया जाये तब तो मैं और भी शीघ्र समाप्त कर दूं। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि अब तक जिस कार्यप्रणाली का अनुसरण किया गया है वह बिल्कुल सही है क्योंकि यदि आप पटवारी या अन्य किसी व्यक्ति को मतदाताओं की सूची तैयार करने के लिये नियुक्त करते हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को जिसे वह विक्षिप्त समझता है सूची में नहीं रखेगा। अत: इस निर्योग्यता को निकाल देना चाहिये। मैंने इस निर्योग्यता को कहीं भी नहीं देखा है। इसी कारण मैं यह कहता हूं कि इसको निकाल दिया जाये और इसके निकाल देने से कोई कठिनाई पैदा नहीं होगी क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को यह शिकायत होती है कि उसको गैर कानूनी तरीके से अलग किया गया है तो वह उच्च अधिकारियों के पास जा सकता है और निर्वाचन अधिकारी ऐसी सब बातों पर विचार करेगा। यदि आप इनको अलग नहीं करते हैं तो सब

[श्री रोहिणी कुमार चौधरी]

विक्षिप्त मनुष्य मतदाताओं की सूचियों में आ जायेंगे। मेरा दूसरा संशोधन यह है:

"कि उपखण्ड (4) में से 'permanently' (स्थायी) शब्द को, जो पंक्ति 6 में आता है, निकाल दिया जाये।"

अब यदि मैं एक उदाहरण दूं तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को मेरे संशोधन की यथार्थता के सम्बन्ध में विश्वास हो जायेगा। मैंने सुना है कि लगभग 50,000 सिन्धी शरणार्थी, जो बम्बई में हैं, बंगाल या आसाम को भेजे जा रहे हैं। ये लोग इतने दिनों से बम्बई में थे और वे यह घोषणा-पत्र दाखिल करते हैं कि वे स्थायी रूप से बम्बई में रहना चाहते हैं। वे मेरे मित्र श्री सिधवा के निकट रहना चाहते हैं। मतदाताओं की सूचियां तैयार हो चुकेंगी तब उनको आसाम भेजा जायेगा। तो फिर उन सब लोगों को बम्बई के मतदाताओं की सूचियों में रखने से क्या लाभ? इसी प्रकार से यदि निर्वाचन के पूर्व वे आसाम में आ गये और उनको आसाम की मतदाताओं की सूची में न रखा गया क्योंकि वहां की सूचियां इससे पहले ही तैयार हो चुकेंगी और घोषणा-पत्र दाखिल करेंगे का समय बीत चुका होगा तो इस उप-खण्ड के रखने से क्या लाभ जब तक कि आप उसमें से "स्थायी" शब्द को न निकाल दें? अत: शरणार्थियों के लिये, जिनका ऐसा कोई इरादा नहीं है या जहां तक निर्वाचनों का सम्बन्ध है जिनके इरादे से कोई आशय पूरा नहीं होता, यदि आप इस खण्ड में "स्थायी" शब्द को रखते हैं तो आप उनको मताधिकार से वंचित करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस शब्द को निकाल दिया जाये।

***उपाध्यक्ष:** मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि यदि हम संतोषजनक प्रगति नहीं करेंगे तो आज हमें दोपहर बाद और शायद कल भी कम से कम अनुच्छेद 149 पूरा करने के लिये बैठना होगा। (*बाधायें*) मैं सभा के अधिकार में हूं। कदाचित् सभा यह स्वीकार करेगी ही कि मैंने तो कोई कठिनाई पैदा की नहीं।

***श्री के. हनुमन्थैया** (मैसूर): श्रीमान्, मैं इस अमल का एक संशोधन पेश करना चाहता हूं कि पहले पैरे के अन्त में दिये हुए "in the year 1950"

(सन् 1950 में) शब्दों को निकाल दिया जाये। इसका प्रभाव यह होगा कि इस वाक्य का अन्त इस प्रकार हो जायेगा–

"...that 'elections to the Legislatures under the new Constitution may be held as early as possible' (नये विधान के अन्तर्गत विधान-मण्डलों का निर्वाचन शीघ्र से शीघ्र किया जा सके।)"

इस संशोधन के पेश करने में मेरा उद्देश्य यह है कि जो कुछ हम कहें अथवा जो कुछ हम करें वह बिल्कुल सही हो। श्रीमान्, यह पहला ही अवसर नहीं है कि हमने अपने ऐसे विचार प्रकट किये हों कि निर्वाचन शीघ्र से शीघ्र हो। इसी परिषद् में यह घोषित किया गया था कि निर्वाचन 1948 में हों। यदि हम बार-बार तारीखें निश्चित करते चले जायें जिनका निर्वाह करना अधिकांश असम्भव-सा ही है तो इस विषय में यह सभा लोगों के मनों में अपने प्रति एक प्रकार का द्वेष तथा घृणा पैदा कर देगी। इसलिये अपनी घोषणा में यह कहना अच्छा है कि निर्वाचन शीघ्र से शीघ्र किये जायें। सम्भव है कि हम सन् 1950 में निर्वाचन न कर सकें या यह भी सम्भव हो सकता है कि हम इससे भी शीघ्र निर्वाचन कर लें। हम पहली बार वयस्क मताधिकार लागू कर रहे हैं तथा इस देश को उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में बांट रहे हैं और तत्सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं। अत: अपने प्रस्तावों को और अधिक निश्चित रूप देने के लिये मैं इस सभा पर इस बात के लिये जोर दूंगा कि कोई निश्चित तिथि न रखें केवल यही कहें कि.....।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती** (मद्रास : जनरल): कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई है।

***श्री के. हनुमन्थैया:** तिथि से मेरा आशय सन् 1950 से है। सम्भव है कि हम सन् 1950 में निर्वाचन न कर सकें और हमारा पहला अनुभव भी है कि जो वर्ष हमने निश्चित किया था उसका निर्वाह हम नहीं कर सकें। हमारे प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि 1948 में निर्वाचन हो जाना चाहिये और यह न हो सका। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री तथा इस सभा के शब्दों की यह दशा हो। हम जो कुछ कहते हैं उसके प्रति हमें और भी अधिक गम्भीर होना चाहिये। अत: मैं निवेदन करता हूं कि इस पदावली में थोड़ा परिवर्तन कर दिया

[श्री के. हनुमन्थैया]

जाये और अपने तथा जनता के प्रति ईमानदार होने के लिये हम यह कहें कि निर्वाचन शीघ्र से शीघ्र किये जायें।

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि पहले पैरा में 'This Assembly' (हिन्दी रूपान्तर में–'तथा उन सिद्धान्तों के अनुसार जो यहां दिये गये हैं' शब्दों को निकाल कर 'अर्थात्') शब्द के पश्चात् आने वाले समस्त शब्दों को निकाल दिया जाये।"

यदि मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो यह प्रस्ताव इस प्रकार पढ़ा जायेगा:–

"Resolved that instructions be issued forthwith to the authorities concerned for the preparation of electoral rolls and for taking all necessary steps so that elections to the Legislatures under the new Constitution may be held as early as possible in the year 1950.

Resolved further that the State electoral rolls be prepared on the basis of the provisions of the new Constitution already agreed to by this Assembly."

(यह निश्चय किया जाता है कि तत्सम्बन्धी अधिकारियों को मतदाताओं की सूचियां तैयार करने और समस्त आवश्यक प्रबंध करने के लिये आदेश दे दिये जायें जिससे कि नये विधान के अन्तर्गत विधान-मण्डलों का निर्वाचन सन् 1950 में शीघ्र से शीघ्र किया जा सके।

आगे यह और निश्चय किया जाता है कि राज्यों की मतदाताओं की सूचियां नये विधान के प्रावधानों के आधार पर, जो परिषद् द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं, तैयार की जायें।)

इस संशोधन को पेश करने में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदि से अन्त तक इस संशोधन की भाषा बहुत बुरी और भद्दी नहीं है। सबसे पहले हम सबों को यह बात जाननी चाहिये कि हमारे प्रस्ताव तथा विधान के अनुच्छेदों में

अन्तर है। इसमें संदेह नहीं कि हमारी यह सभा सर्वसत्तायुक्त है परन्तु कानून के सामने जो शब्द यहां कहे जाते हैं तथा जो प्रस्ताव यहां स्वीकार किये जाते हैं उनका वही मूल्य अथवा प्रभाव नहीं है जो कि विधान के नियमित अनुच्छेदों का है। हमको कोई विधेयक या विधान स्वीकार करना चाहिये। इस प्रस्ताव का कोई वैधिक महत्त्व नहीं है और इस प्रस्ताव के आधार पर किये गये कार्य की न्यायता पर आपत्ति की जा सकती है विशेषकर विधान निर्माण के विषय में।

***पंडित बालकृष्ण शर्मा** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): इस सभा में जो लक्ष्य सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया था उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य क्या विचार रखते हैं ?

***श्री महावीर त्यागी:** वह केवल लक्ष्य सम्बन्धी प्रस्ताव था, और उसका कोई वैधिक महत्त्व नहीं है। महत्त्व इस पुस्तक को है और किसी वस्तु को नहीं।

***उपाध्यक्ष:** आप अपने विषय पर रहें और इस प्रकार से ही हम दोपहर बाद के अधिवेशन से बच सकते हैं। आप जैसे महान् वक्ता को ऐसी बाधाओं से विचलित नहीं होना चाहिये।

***श्री महावीर त्यागी:** धन्यवाद श्रीमान्, मैं यह कहता हूं कि विधान में किसी निश्चित अनुच्छेद के अभाव में सरकार अमल नहीं कर सकती है। प्रत्येक अधिकार विधान के किसी न किसी अनुच्छेद से उत्पन्न तथा प्रादुर्भूत होता है न कि प्रस्ताव से। यह प्रस्ताव केवल सभा की यह इच्छा प्रकट करता है कि जनतन्त्र को जनता में प्रसारित करने में हम विलम्ब नहीं करना चाहते हैं।

***पण्डित बालकृष्ण शर्मा:** निदेशक के बारे में क्या होगा।

***श्री महावीर त्यागी:** मैं विचलित होना नहीं चाहता हूं। (*हंसी*) जनतन्त्रवाद अथवा स्वतन्त्रता अभी विधान-परिषद् में ही आ पहुंचे हैं जनता तक नहीं पहुंच पाये हैं और जनता तक वे तभी पहुंच पायेंगे जब कि ग्रामीण स्वतन्त्रता का उपभोग करेंगे और मतदान के स्थान में मतदान करेंगे। इसलिये हम इस काम की जल्दी में हैं कि यह स्वतन्त्रता शीघ्र उन तक पहुंच जाये मतदाताओं की सूचियां शीघ्र

[श्री महावीर त्यागी]

तैयार हो जायें। विधान-परिषद् इस बात के लिये उत्सुक है कि निर्वाचन शीघ्र से शीघ्र हों। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि "राज्य की मतदाताओं की सूचियां नये विधान के प्रावधानों के आधार पर, जो स्वीकार किये जा चुके हैं, तैयार की जायें।" इसका अर्थ यह है कि इस प्रस्ताव के पारित होने के पूर्व स्वीकार किये गये प्रावधान। अब तक हमने आधा ही काम किया है।

***उपाध्यक्ष:** क्या मैं यह निवेदन करूं कि इस प्रस्ताव का सम्बन्ध समय से नहीं होना चाहिए बल्कि तिथि से।

***श्री महावीर त्यागी:** यह अच्छा है। इससे सायंकाल भी प्रात:काल में शामिल की जा सकती है।

तो, श्रीमान्, जैसा कि मैंने कहा था, यह प्रस्ताव केवल हमारी इच्छा का प्रकाशन है कि हम प्रान्तीय सरकारों को हिदायत देने के लिये उत्सुक हैं जिससे कि मतदाताओं की सूचियां तैयार करने के सम्बन्ध में जिस किसी प्रारम्भिक कार्य की आवश्यकता हो उसको वे तैयार कर लें। इस प्रकार के अधिकार प्रदान करने से, जिनका इस प्रस्ताव में प्रयास किया गया है, मतदाताओं की सूचियां न तो तैयार हो पायेंगी और न हो सकती हैं। इस कार्य के लिये सरकारी आदेशों की आवश्यकता है। अत: यह प्रस्ताव सीधा-सादा सा है। विधान-परिषद् की ओर से यह प्रस्ताव प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि मतदाताओं की सूचियां तैयार करने के आवश्यक प्रारम्भिक कार्य में वे अग्रसर हों। अत: पूर्ण विवरण को न लेते हुए यदि हम स्थिति की आवश्यकता के अनुसार इस प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित करें, तो हमें उसके प्रथम दो पैरों की ही आवश्यकता है। जब हम उसके पूर्ण विवरण को लेते हैं, तभी कठिनाई उपस्थित होती है। उदाहरणार्थ जैसा कि मेरे मित्र ने कहा था कि नागरिकता खण्ड को स्वीकर नहीं किया गया है। यदि हम आधी रात तक बैंठे तब भी वह पूरा नहीं हो सकता। इस प्रस्ताव के अनुसार अधिकारी वर्ग बिना किसी निर्वाचन-क्षेत्र का नाम दिये हुये मुहल्ले अथवा गांव की मतदाताओं की सूचियां तैयार कर सकते हैं। निर्वाचन-क्षेत्र की सीमा बाद में भी स्थिर की जा सकती है। अब जो

मतदाताओं की सूचियां तैयार की जायेंगी, उनसे बाद में निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा स्थिर करने में सहायता मिल सकती है। इस प्रकार जो सूचियां तैयार की जायेंगी वे आगे आने वाले वास्तविक कार्य का प्रारम्भिक रूप होंगी। इस प्रस्ताव की भावना में दोष नहीं निकाला जा सकता। यह देश को केवल यह सूचना देता है कि हम निर्वाचन करने के लिये उत्सुक हैं। अभी हमें इसके पूर्ण विवरण को नहीं लेना चाहिये। इन अधूरे और निरर्थक विवरण पर निर्भर रहना इस प्रकार का होगा जैसे कि "आकाश में खूंटा गाढ़ कर उस पर आशा लगाना" (*बाधायें*) इन बाधाओं से विवश होकर मैं चुप होना चाहता हूं।

***श्री एच.जे. खांडेकर:** क्या मैं यह सूचना प्राप्त करने के लिये निवेदन कर सकता हूं कि जब हमने अल्पसंख्यक-वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले तथा अल्पसंख्यक-वर्गों के संरक्षण इत्यादि से सम्बन्ध रखने वाले अनुच्छेद 292 को पारित नहीं किया है, तो प्रस्ताव का क्या मूल्य होगा?

***श्री महावीर त्यागी:** अल्पसंख्यक-वर्गों का प्रश्न उठता ही नहीं है। यह प्रस्ताव सम्बद्ध सरकारों को सब स्थानों में वयस्कों की सूची बनाने का केवल अधिकार प्रदान करेगा।

***श्री एच.जे. खांडेकर:** अल्पसंख्यक-वर्गों के लिये जनसंख्या के आधार पर स्थान संरक्षित किये गये हैं और यदि बिना जनगणना के मतदाताओं की सूचियां तैयार कर ली गई, तो अल्पसंख्यकों के लिये जनगणना के आधार पर किस प्रकार स्थान नियत किये जा सकते हैं?

***श्री महावीर त्यागी:** अभी यह कठिनाई उपस्थित नहीं होगी। मैं जानता हूं कि निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमायें स्थिर नहीं की गई हैं। इस प्रस्ताव का आशय केवल गावों और नगरों में सब वयस्कों के नामों की सूची बनाने से है। मतदाताओं की ये सूचियां विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों के साथ, जैसे ही उनको बनाया जाता है और उनकी सीमा स्थिर की जाती है, संलग्न कर दी जायेंगी।

***श्री एच.जे. खांडेकर:** श्रीमान्, माननीय श्री त्यागी जी मुझे समझ नहीं पाये।

***उपाध्यक्ष:** मैं इस वाद-विवाद के लिये अनुमति नहीं दे सकता हूं। श्री खांडेकर अपने भाषण में इन बातों को रख सकते हैं।

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि वयस्कों की सूचियां तैयार करने से न तो संरक्षण में और न निर्वाचन-क्षेत्र की सीमा स्थिर करने में कोई रुकावट होती है। यह प्रस्ताव केवल विभिन्न स्थानों में निवास करने वाले समस्त वयस्कों की सामान्य सूची तैयार करने का अधिकार प्रदान करता है। अत: यह बड़ा सीधा-सादा सा प्रस्ताव है और मेरे संशोधन द्वारा संशोधित रूप में इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। इन शब्दों के सहित मैं इस प्रस्ताव का अपने संशोधन के अधीन समर्थन करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना अब अपना संशोधन पेश कर सकते हैं। मैं उनको केवल पांच मिनट दे सकता हूं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि (1) '1 जनवरी सन् 1949' के स्थान में '1 जनवरी सन् 1950' रखा जाये;

(2) जहां कहीं इस प्रस्ताव में 'constituency' (निर्वाचन-क्षेत्र) आता है उसके स्थान में 'area' (क्षेत्र) रखा जाये;

(3) 'file a declaration of' (का वह लिखित घोषणा-पत्र दाखिल कर दे) के स्थान में 'signifies' (की वह सूचना दे दे) शब्द रख दें;

(4) 'permanently' (स्थायी रूप से) शब्द को निकाल दिया जाये।"

***उपाध्यक्ष:** मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि आप 'स्थायी रूप से' शब्द वाले संशोधन को न लें क्योंकि एक अन्य सदस्य ने इस पर विचार व्यक्त कर दिये हैं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** श्रीमान्, हमने 1 जनवरी सन् 1949 ई. तिथि नियत की है, जिसके आधार पर मतदाता की आयु निश्चित की जायेगी। हम यह कह चुके हैं कि निर्वाचन सन् 1950 में होगा। वह दिसम्बर 1950 तक हो सकता है। अत: यदि हम आयु निश्चित करने की यह तिथि स्वीकार कर लेते हैं, तो जो लोग 1 जनवरी सन् 1950 को मत देने के अधिकारी हो जायेंगे उन सभी को

हम मतदान से वंचित करेंगे। मैं अनुभव करता हूं कि इस प्रकार हमें बहुत से लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं करना चाहिये। लगभग 1 करोड़ मनुष्य जो 1 जनवरी सन् 1950 को 20 वर्ष के होंगे, वे 1 जनवरी सन् 1950 को 21 वर्ष के हो जायेंगे और पहले निर्वाचन में हमें इन लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं करना चाहिये।

तत्पश्चात्, मैं श्री त्यागी से सहमत हूं कि यह प्रस्ताव सरकारों को एक आदेश के रूप में नहीं है। विधान के जिन प्रावधानों को हम स्वीकार कर चुके हैं, उनका अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। अभी तक हमने निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा स्थिर करने सम्बन्धी प्रावधानों को पारित नहीं किया है। अत: अभी हमें 'क्षेत्र' कहना चाहिये। क्षेत्रों की सूचियां हम तैयार कर सकते हैं और बाद में जब हम विधान पारित कर लें, हम इन क्षेत्रों को मिला कर 'निर्वाचन-क्षेत्र' बना सकते हैं। अभी हमें 'निर्वाचन-क्षेत्र' के स्थान में 'क्षेत्र' शब्द का प्रयोग करना चाहिये। यह अधिक उपयोगी होगा तथा सही भी होगा। जब निर्वाचन-क्षेत्र ही नहीं है तो आप उसकी सूचियां नहीं बना सकते हैं, पर आप प्रत्येक क्षेत्र में मतदाताओं की सूचियां बना सकते हैं। अल्पसंख्यक-वर्गों के लिये और भी अधिक कठिनाई है। संभव है कि उनके लिये स्थान संरक्षित किये जायें और जब तक वे यह न जानें कि किस निर्वाचन-क्षेत्र में उनके लिये स्थान संरक्षित है, उनके लिये यह अधिक उपयोगी नहीं होगा। इस प्रकार का प्रस्ताव परित कर देने भर से हम निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अत: मैं समझता हूं कि 'निर्वाचन-क्षेत्र' के स्थान में 'क्षेत्र' शब्द रखा जाये।

इसके बाद मैं घोषणा-पत्र भर कर दाखिल करने के विषय को लेता हूं। हमारे बहुत से शरणार्थी भाई निरक्षर हैं और आवेदन-पत्र तैयार करने और दाखिल करने के लिये उन्हें आवेदन-पत्र लेखकों की सहायता लेनी पड़ेगी। इसका मतलब यह होगा कि उनको खर्च करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो मनुष्य (शरणार्थी) किसी क्षेत्र में मतदान करना चाहता है तो वह केवल यह कह दे कि "मैं इस क्षेत्र में निवास करना चाहता हूं।" यह कहना ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त करने के लिये यथेष्ट होना चाहिये।

आवेदन-पत्रों को दाखिल नहीं करना चाहिये। केवल निवास करने के उद्देश्य को प्रकट कर देना काफी होगा। मैं नहीं समझता हूं कि इस कार्य के लिये किसी

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

कठोर प्रणाली की आवश्यकता है। यदि आप एक निरक्षर ग्रामीण को इस प्रकार का आवेदन-पत्र दाखिल करने के लिये कहें तो अन्य मनुष्य उसका शोषण करेंगे और उससे पैसा बनायेंगे। इसीलिये मैं कहता हूं कि सूचियों में दर्ज होने के लिये उस निर्वाचन-क्षेत्र में निवास करने के उद्देश्य को प्रकट कर देना ही काफी होना चाहिये।

इसके पश्चात्, श्रीमान्, 'already' शब्द वहां रखा हुआ है। हमने अनुच्छेद 149 पारित नहीं किया है, अत: 'already' शब्द संगत नहीं है। इसलिये इस शब्द को निकाल देना चाहिये।

एक और बात है जिसको श्री त्यागी ने उठाया था कि हमारे इस प्रस्ताव को कोई वैधिक शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि इस विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। अनुच्छेद 67 खण्ड (6) में जो कुछ हमने पारित किया है, वह यह है कि "लोकसभा के लिये निर्वाचन प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर होगा; अर्थात् प्रत्येक नागरिक, जिसकी अवस्था इक्कीस वर्ष से कम नहीं है, और जिसको इस विधान अथवा संसद् के किसी अधिनियम के अधीन अनिवास, मनोविक्षेप, पातक अथवा भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर निर्योग्य नहीं किया गया है, ऐसे निर्वाचनों में मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज होने का अधिकारी होगा।" श्रीमान्, हम संसद् के रूप में नहीं हैं इस कारण इस प्रस्ताव में यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि केवल ऐसे-ऐसे आदमियों को सूचियों में दर्ज किया जायेगा। अन्य को नहीं। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव केवल एक प्रकार का निदेश है। इस कारण इसका कोई वैधिक प्रभाव नहीं होगा, जब तक कि कोई अधिनियम पारित न किया जाये कि विक्षिप्त मनुष्य अथवा वे मनुष्य जिसने अपराध किया हो मतदाता नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि इस विषय का डॉ. अम्बेडकर ठीक-ठीक अध्ययन करें जिससे कि इस विषय में हमारे सामने कोई कठिनाई न आये।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

***पंडित ठाकुरदास भार्गव:** उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार के प्रस्ताव पर इस सभा में इतनी जल्दबाजी से वाद-विवाद हो। आज सुबह आठ बजे मुझे इस प्रस्ताव की प्रति मिली और जब मैं यहां आया

तब मैंने उन संशोधनों को प्रस्तुत किया जिन पर बोलना चाहता हूं। परन्तु अब मुझे इस प्रस्ताव में और भी अनेकों कठिन समस्यायें विदित हुई हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे जिस समय इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद हो उस समय बोलने की कृपया अनुमति दे दें, या इस विषय पर अपनी समस्त आपत्तियों को विस्तारपूर्वक रखने की अनुमति दे दें। यदि आप समूचे प्रस्ताव पर इस समय बोलने की अनुमति दे देंगे तो मैं अपने भाषण को अभी समाप्त कर दूंगा।

***उपाध्यक्षः** आप अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं।

***पंडित ठाकुरदास भार्गवः** मेरा निवेदन यह है कि इस प्रस्ताव का विषय ऐसा है कि जिसको वास्तव में विधान-मण्डल के अधिनियम में रखना चाहिये। श्रीमान्, सर्वप्रथम तो जैसा कि मेरे मित्र श्री त्यागी ने बताया है, मुझे भी सन्देह है कि क्या इस प्रकार के प्रस्ताव को वही वैधिक शक्ति होगी जो एक अधिनियम को होती है। हम अनुच्छेद 67 खण्ड (6) पारित कर ही चुके हैं। खण्ड (6) में हम यह निर्धारित कर चुके हैं कि मतदाताओं की निर्योग्यतायें या तो विधान के अन्तर्गत हों या अनिवास, मनोविक्षेप, पातक अथवा भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर संसद् के अधिनियम के अन्तर्गत हों। जहां तक अनिवास के आधार पर निर्योग्यता के प्रश्न का सम्बन्ध है, इस प्रस्ताव के पैरा (3) और (4) द्वारा उस पवित्र क्षेत्र में हस्तक्षेप होता है जो केवल संसद् के अधिनियम का क्षेत्र है। हम किसी प्रस्ताव के आधार पर यह नहीं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाताओं की सूचियों में सम्मिलित किये जाने के लिये उस निर्वाचन-क्षेत्र में निवास करने के उद्देश्य की घोषणा करे। इसमें कोई बन्धनकारी शक्ति नहीं है।

इसी तरह विक्षिप्त मनुष्यों के सम्बन्ध में मैं देखता हूं कि वे विक्षिप्त मनुष्य शामिल नहीं किये जायेंगे जो किसी अधिकृत न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित कर दिये गये हैं, परन्तु उन विक्षिप्त मनुष्यों को तो शामिल करना ही होगा जो विक्षिप्त घोषित नहीं किये गये है। अनुच्छेद 67 खण्ड (6) में जिस विचार को प्रस्तुत किया गया है उससे सम्बन्धित संसद् का अधिनियम 1950 अथवा 1949 में पारित हो जायेगा। हम उस अधिनियम की प्रत्याशा में हैं। आप केवल एक प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी सन् 1949 तिथि किस प्रकार नियत कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि "जब तक कि तारीख 31 मार्च सन् 1948 ई. को समाप्त होने वाले वर्ष में उसने उस निर्वाचन-क्षेत्र में कम से कम 180 दिनों तक निवास न किया

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

हो?" मेरा निवेदन यह है कि संसद् के अधिनियम द्वारा ही ऐसी तिथियां नियत की जा सकती हैं। एक प्रस्ताव द्वारा ये तिथियां नियत नहीं की जा सकतीं।

इसी प्रकार देशीयकरण और नागरिकता के बारे में वर्तमान कानून प्रवर्तन में है ही। उन कानूनों को हम इस प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा सकते हैं। उन अधिनियमों को कानूनों की शक्ति प्राप्त है और उन कानूनों को केवल यह प्रस्ताव नहीं हटा सकता है। मेरा निवेदन यह है कि यह प्रस्ताव वर्तमान कानून और अनुच्छेद 67 खण्ड (6) में दिये हुये सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

इसके अतिरिक्त, श्रीमान्, जब तक आप नागरिकता के खण्ड को पारित नहीं कर लेते हैं, तब तक आप मतदान करने वाले नागरिकों की सूचियां नहीं बना सकते हैं। जब निर्वाचन-क्षेत्र की सीमायें स्थिर नहीं हुई हैं तो मुझे सन्देह है "उस निर्वाचन-क्षेत्र में निवास किया हो" शब्द किस प्रकार सार्थक होंगे। जब तक निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमायें स्थिर न की जायें, तब तक हम यह नहीं जान सकते कि कोई व्यक्ति किस निर्वाचन-क्षेत्र में निवास करेगा। पचहत्तर हजार जनसंख्या का आधार है और यह मालूम करना बड़ा कठिन होगा कि कब मतदाताओं की सूचियां तैयार होंगी और कोई व्यक्ति निर्वाचन-क्षेत्र 'क' में रहता है अथवा निर्वाचन-क्षेत्र 'ख' में। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रस्ताव में सारी बातें उल्टी प्रतीत होती हैं, क्योंकि अभी तक न तो निर्वाचन-क्षेत्र बने हैं और न नागरिकता सम्बन्धी खण्ड ही पारित हुआ है। यह कहा जा सकता है कि तैयारी करने के हेतु एक रजिस्टर तैयार किया जायेगा, परन्तु यहां तो "मतदाताओं की सूची" शब्द का प्रयोग हुआ है। और यदि उसे तैयार करना ही है, तो उसके लिये किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि गत आठ माह से यह तैयारी हो रही है। क्या वे मतदाताओं की सूचियां जो तैयार हो चुकी हैं अवैध हैं? यदि वे अवैध नहीं हैं, तो यह संशोधन अनावश्यक है और यदि वे अवैध हैं तो इस प्रस्ताव के पारित करने से वे वैध नहीं हो सकती हैं। मेरा निवेदन यह है कि

अच्छा होता यदि हम इस प्रस्ताव को न रखते जिसे संसद् के अधिनियम के रूप में कानून के मुकाबले कोई बन्धनकारी शक्ति नहीं है।

उस विशेष संशोधन के सम्बन्ध में, जिसे मैंने आपके विचारणार्थ प्रस्तुत किया है, उपखण्ड (4) में ये शब्द हैं "अपने उद्देश्य का लिखित घोषणा-पत्र दाखिल करें"। हमसे अभी माननीय प्रधानमन्त्री ने यह कहा कि जब गणना करने वाला—इस शब्द से मैं समझता हूं कि हमारा आशय उस व्यक्ति से है जिस पर मतदाताओं की सूचियां तैयार करने का कार्य है—किसी गांव में जायेगा तो वह शरणार्थियों से घोषणा-पत्र ले लेगा। श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि इस संशोधन द्वारा दो बातें स्पष्ट कर दी जायें। पहली यह कि सरकारी कागज में उनका खर्च नहीं होगा। दूसरी यह कि मतदाताओं की सूचियां तैयार करने वाला व्यक्ति उन गांवों में जाये और वहां घोषणा-पत्र प्राप्त करे। केवल एक घोषणा-पत्र, चाहे वह कितने ही बड़े तथा उच्च अधिकारी द्वारा हो, यथेष्ट नहीं होगा। आखिर प्रान्तीय सरकारों को ही यह कार्य करना होगा। वे पटवारियों अथवा गिनने वालों को, जिनको कि इन सूचियों का कार्य सौंपा गया हो, प्रत्येक गांव में न भेज सकें तो फिर ऐसा होगा कि इन शरणार्थियों को 2 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और कार्यालय में जाकर घोषणा-पत्र दाखिल करना होगा। उन लोगों को अक्षरज्ञान नहीं है। उनको अनेक प्रकार के अकथनीय कष्ट होंगे। इस सभा के अनेकों सदस्यों को यह पूर्णतया ज्ञात है कि यदि इस प्रकार से घोषणा-पत्र दाखिल कराये गये तो यह होगा कि इन लोगों से बहुत से व्यक्ति किसी न किसी गैर कानूनी रूप से रुपया ऐंठेंगे और जब उन व्यक्तियों को कुछ दे दिया जायेगा तभी वे उनका घोषणा-पत्र दाखिल करेंगे और उनको मतदाता बनने देंगे। इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि यदि आप इस प्रकार का नियम रखना चाहते हैं तो चाहे किसी अधिशासी आदेश द्वारा या इस प्रस्ताव में उन बातों को रख कर आपको यह देखना चाहिये कि शरणार्थियों को सब तरह की सुविधा दी जाये, जिससे कि उनके कारण कोई कठिनाई न हो। ये शरणार्थी भारतीय सरकार की एक प्रकार से खास देखभाल में हैं और उनको सब तरह की सुविधायें दी जानी चाहियें।

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

श्रीमान्, मैंने एक और संशोधन की भी सूचना दी है जो 31 मार्च सन् 1948 तिथि के सम्बन्ध का है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस प्रस्ताव द्वारा तिथि नियत करने की सामर्थ्य नहीं है, परन्तु यदि कोई तिथि नियत की ही जाती है तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वही तिथि नियत की जाये जो खण्ड (2) में है। 1 जनवरी सन् 1949 या 31 मार्च सन् 1949 तिथि रखी जिससे कि किसी नागरिक का अधिकार न छीना जा सके, जो आज तक या 31 मार्च सन् 1949 तक या 1 जनवरी सन् 1949 तक नागरिक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जहां तक उसका सम्बन्ध है निवास का प्रश्न उसके आड़े आये। मेरा निवेदन यह है कि या तो यह तिथि वही रहे और या इसको 31 मार्च सन् 1949 कर दिया जाये, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि मार्च सन् 1949 के पूर्व इन आदेशों अथवा इस प्रस्ताव के विषय पर अमल किया जायेगा और जब तक इनको अमल में नहीं लाया जाता तब तक की हमें तिथि रखनी चाहिये। 31 मार्च सन् 1948 तिथि रखने में कोई अर्थ नहीं है और इस तिथि के रखने से बहुत से लोग पृथक् हो जायेंगे अथवा बहुत से लोगों के मार्ग में रुकावटें आ जायेंगी। इन दोनों संशोधनों के सम्बन्ध में सभा से मेरा निवेदन है कि इनको स्वीकार किया जाये।

***उपाध्यक्ष:** श्री नागप्पा के नाम से एक संशोधन है। पंडित नेहरू ने जो अभी स्पष्टीकरण किया था उसको ध्यान में रखते हुये क्या वे अब भी अपने संशोधन पेश करने का आग्रह करते हैं?

***श्री एस. नागप्पा:** जी हां, मैं अपने नाम के संशोधनों को पेश करने का निवेदन करता हूं, अर्थात्:

> "कि पैरा 4 में से अन्तिम दूसरी पंक्ति में 'constituency' (कर लिया जायेगा) शब्द के पश्चात् आने वाले 'if he files a declaration of his intention to reside permanently in that constituency' (जिसमें अपने स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य का वह लिखित घोषणा-पत्र दाखिल कर दे) शब्द निकाल दिये जायें।"

इसके लिये यह कारण है। हम जानते हैं कि हमारे देश में केवल 10 या 12 प्रतिशत साक्षर हैं। "लिखित घोषणा-पत्र दाखिल करने" का क्या अर्थ है?

यदि घोषणा "करना" होता तो बात दूसरी थी। मान लीजिये कोई अधिकारी किसी व्यक्ति के पास जाता है, यदि वह उस व्यक्ति द्वारा की गई घोषणा को दर्ज कर लेता है तब तो यह बात मेरी समझ में आ सकती है। परन्तु लिखित घोषणा-पत्र दाखिल करने का यह अर्थ है कि वह घोषणा-पत्र लिपिबद्ध हो। मुझे खुशी है कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकारी टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है परन्तु उस घोषणा-पत्र को भरने, उस पर हस्ताक्षर करने और तत्सम्बन्धी अधिकारी के यहां उसे दाखिल करने के भार से तो वह वंचित नहीं होता है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि यदि आप निकालना ही चाहते हैं तो समस्त खण्ड को निकाल दीजिये। नहीं तो मेरा वैकल्पिक संशोधन है। मैं उस संशोधन को भी जिसमें यह कहा गया है कि "वह लिखित घोषणा-पत्र दाखिल कर दे या घोषणा कर दे" आपकी अनुमति से पेश करना चाहूंगा। यदि हम इस प्रकार इस खण्ड को रखें तो दोनों प्रकार के साक्षर और निरक्षर लोगों को मतदाता की सूचियों में दर्ज होने का अवसर मिल जायेगा।

***उपाध्यक्षः** क्या मैं माननीय सदस्य को यह संकेत करूं कि इस संशोधन को डॉ. अम्बेडकर ने स्वीकार कर लिया है?

***श्री एस. नागप्पाः** यदि उसको स्वीकार कर लिया है तो अच्छा है। इस दशा में तो मुझे पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं जब कि आप कहते हैं कि आप उसे स्वीकार कर रहे हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मैंने माननीय सदस्य की बातें सुन ली हैं और अन्य लोगों की बातें भी मैं सुन चुका हूं। मैं उनके सब तर्कों को समझ गया हूं और मैं समझता हूं कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है, इन तर्कों का दुहराना अनावश्यक ही है मैं उनको समझ चुका हूं।

***उपाध्यक्षः** अब इस प्रस्ताव पर सामान्य वाद-विवाद हो सकता है।

सेठ गोविन्द दासः उप-सभापति जी, मैं वकील नहीं हूं और मैं बाल की खाल भी नहीं निकालना चाहता। जो प्रस्ताव यहां पर पेश किया गया है, इस प्रस्ताव के उद्देश्य क्या हैं और इसके पीछे कौन-सी भावना है, इसके सम्बन्ध में ही मैं यहां कुछ कहना चाहता हूं।

[सेठ गोविन्द दास]

इस विधान-परिषद् में दो प्रकार के सदस्य हैं। एक वे जिन्हें इस विधान-परिषद् से बाहर का जो सार्वजनिक जीवन है, उससे भी सम्बन्ध है और एक वे जिनका क्षमा करें केवल इस विधान-परिषद् से ही सम्बन्ध है। मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार हूं कि जो हमारे मतदाता हैं या होने वाले हैं, उनकी सूचियां बन रही हैं। मैं इस बात को भी मंजूर करता हूं कि यदि यह प्रस्ताव न भी होता तो भी इस काम में कोई रुकावट पड़ने वाली नहीं थी। परन्तु इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन सूचियों के बनते रहने पर भी देश भर में विधान-परिषद् का कार्य जो इतनी मंदगति से चल रहा है और हमारे विधान को बनाने में जो इतनी देर हो रही है, उससे तरह-तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। मेरा इस विधान-परिषद् के बाहर के सार्वजनिक जीवन से थोड़ा-बहुत सम्बन्ध है और बाहर क्या-क्या बातें कही जाती हैं, उन्हें मैं जानता हूं। कुछ लोग यह कहते हैं कि यहां पर जो लोग बैठे हुये हैं, इस विधान-परिषद् में या धारा सभाओं में या जो हमारे मंत्री हैं, केन्द्र में या प्रान्तों में, उनका उद्देश्य यहां पर बैठे रहना है और चुनाव को जितनी भी देर से हो सके उतनी देर से कराना है। कुछ लोग यह कहते हैं कि यदि हम इस देश के रहने वाले प्रत्येक 21 वर्ष वाले को मत देने का अधिकार देना चाहते हैं, तो जब तक 1951 में मर्दुमशुमारी नहीं हो जायेगी, और न जाने और कितनी बातें नहीं हो जायेंगी तब तक चुनाव नहीं होंगे। कुछ लोग यह कहते हैं कि यदि हम बालिग मताधिकार के सिद्धान्त को स्वीकार करने के बाद चुनाव करना चाहते हैं, तो वह चुनाव ही असम्भव हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो भावनायें इस प्रकार की जो अफवाहें सारे देश में फैली हुई हैं, उनका इस प्रस्ताव के द्वारा बहुत दूर तक उन्मूलन हो जाता है। इस प्रस्ताव को पास करके हम यह सिद्ध कर देते हैं कि हम चुनावों को बहुत देर से करने के अभिलाषी नहीं हैं। हम लोगों को यह भी कहे देते हैं कि इस देश में बालिग मताधिकार पर चुनाव होना संभव है। न जाने क्यों यह बात असम्भव मानी जाती है। इस देश की आबादी बहुत बड़ी है और यह देश बहुत बड़ा है, इसमें सन्देह नहीं है, पर इतना बड़ा देश होने पर भी और हर एक 21 वर्ष की आयु वाले को मताधिकार देने पर भी मैं इस बात को मंजूर करने को तैयार नहीं हूं कि इस देश में चुनाव नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं कि इतने अधिक हमारे मतदाता

हो जायेंगे, इतने अधिक पोलिंग स्टेशन होंगे, इतने अधिक आदमियों की उन पोलिंग स्टेशनों पर जरूरत होगी कि चुनाव नहीं हो पायेंगे। मैं इन बातों को हास्यास्पद मानता हूं। यद्यपि इस देश के समस्त निवासी पढ़े-लिखे नहीं हैं तथापि हम ऐसे योग्य लोगों को बुला सकते हैं जो उन पोलिंग स्टेशनों पर चुनाव करवा सकें। अदालतों में यदि असेसर बुलाये जा सकते हैं तो पोलिंग स्टेशनों के लिये भी पढ़े-लिखे ऐसे आदमी बुलाये जा सकते हैं, जो सरकारी नौकर न हों।

इस प्रस्ताव का जो उद्देश्य है। इस प्रस्ताव के पीछे जो भावना है, उनकी ओर हमें दृष्टि रखनी है। हमको बाल की खाल नहीं निकालनी है। हमको शाब्दिक झगड़े, कोलन, सेमीकोलन और कोमों के पीछे ध्यान नहीं देना है। यह प्रस्ताव है, यह कोई बिल नहीं है। ऐसे प्रस्तावों में सरकार को कुछ कहना होता है, प्रस्ताव का अर्थ जनता को आवश्वासन देना होता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार से तथा जनता से कुछ कहना है, इस प्रस्ताव का उद्देश्य जनता को कुछ आश्वासन देना है। हम यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम यहां पर हमेशा बैठे रहने के इच्छुक नहीं हैं। इसके जरिये हम कहना चाहते हैं कि इस देश में 21 वर्ष से ऊपर के जितने लोग रहते हैं, उनको मताधिकार देने के उपरान्त भी हम 1950 में चुनाव को करवा डालना चाहते हैं। इस उद्देश्य और भावना से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव इस सभा के सामने आया है और इस उद्देश्य और इस भावना का समर्थन करने के कारण मैं इस मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस प्रस्ताव को पास करने के बाद इस देश की जनता के हृदय में जो अनेक प्रकार के संदेह रहे हैं, उनका उन्मूलन हो जायेगा और एक नया जीवन आ जायेगा। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जिस समय विधान-परिषद् आरम्भ हुई थी उस समय हमें इस देश में कितना जीवन दृष्टिगोचर होता था और विधान-परिषद् की कार्यवाही में लोग कितनी दिलचस्पी लेते थे परन्तु धीरे-धीरे विधान-परिषद् का कार्य इस तरह बढ़ता जा रहा है जिससे कि लोग न जाने क्या-क्या समझने लगे हैं। और विधान-परिषद् की जो रोज की कार्यवाही होती है उसमें लोगों की दिलचस्पी भी बहुत कम रह गई है। इस प्रस्ताव के पास करने से यह सिद्ध हो जाता है कि 1950 में हम चुनाव करना चाहते हैं और यह निश्चित है कि हम इस विधान को भी जल्दी से जल्दी बना देना चाहते हैं और इस तरह लोगों के सन्देहों का उन्मूलन करना चाहते हैं। यदि हम इस प्रस्ताव के उद्देश्यों को देखें और इस प्रस्ताव के पीछे जो भावना है,

[सेठ गोविन्द दास]

उसको देखें, तो हमको मानना पड़ेगा कि इस प्रस्ताव का पास होना चाहे कानून की दृष्टि से आवश्यक न हो, पर इन उद्देश्यों और भावनाओं की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***माननीय श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मैं सभा का बहुत अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। इस प्रस्ताव के ठीक-ठीक प्रभाव पर विचार करना चाहिये। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को उसी रूप में माना जायेगा जिस रूप में हमारे विधान के खण्डों को माना जायेगा। मैं समझता हूं कि मतदाताओं की सूचियां तैयार करने के लिये कुछ समय तक इसका प्रभाव किसी घोषणा के प्रभाव के समान होगा। जब कोई विधान नियमित रूप से लागू कर दिया जायेगा, तो नये विधान के अधीन अधिकारियों तथा नियमों द्वारा इन प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई मतदाताओं की सूचियों की उचित रीति से पुष्टि की जायेगी। इस सबका अर्थ यह है कि जिन अधिकारियों को यह कार्य करना पड़ेगा वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह प्रस्ताव विधान-परिषद् द्वारा स्वीकार किया गया है और वे इस बात का प्रयत्न करेंगे कि मतदाताओं की सूचियों में कोई परिवर्तन न हो या इन प्रावधानों के अनुसार बनाई गई मतदाताओं की सूचियों में केवल अति आवश्यक परिवर्तन ही किये जायें।

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि खण्ड (2) और (3) में तिथियों का अन्तर केवल अनावश्यक ही नहीं वरन् कष्टदायक है। प्रधानमन्त्री ने यह बताया कि खण्ड (3) में 31 मार्च सन् 1948 तिथि इस उद्देश्य से रखी गई है कि भारतीय सरकार के आदेश के अनुसार अब तक जो मतदाताओं की सूचियां तैयार हो चुकी हैं वे ज्यों की त्यों सही बनी रहें। यह बात उचित है अन्यथा समस्त मतदाताओं की सूचियों में परिवर्तन करना पड़ेगा।

खण्ड (2) के अनुसार सब लोग जो 1 जनवरी सन् 1949 तक 21 वर्ष की आयु के हो जाते हैं शामिल किये जायेंगे। इसमें जितने लोगों की संख्या आ जाती है उसकी ओर मैं अभी संकेत करूंगा। मैं समझता हूं कि प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ व्यक्ति 20 वर्ष की आयु से 21 वर्ष की आयु के होते हैं। भारत में औसत आयु 30 वर्ष है। अत: प्रत्येक आयु-समूह में विशेषकर बीच के आयु-समूहों में

एक-एक करोड़ आदमी होंगे। अत: खण्ड (2) में 1 जनवरी सन् 1949 रखने से हम उन 1 करोड़ में से कम से कम 75 प्रतिशत को ले लेते हैं, अर्थात् तैयार किये हुये रजिस्टरों में 75 लाख मतदाता और दर्ज करने होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मतदाताओं की सब सूचियों को ठीक किया जाये। अत: यदि हम मतदाताओं की नई सूचियां तैयार करना चाहते हैं तो हमें पंडित ठाकुरदास भार्गव के सुझावों को स्वीकार कर लेना चाहिये। हम 31 मार्च सन् 1949 रखें जिससे कि आधुनिक काल तक योग्य होने वाले लोगों को मताधिकार प्राप्त हो जाये। यदि हम पुराने रजिस्टरों का उपयोग करना चाहते हैं तो खण्ड (2) में भी हम 31 मार्च सन् 1948 रखें। फिर हमें रजिस्टरों में अधिक संख्यायें दर्ज नहीं करनी होंगी। अत: इन दोनों खण्डों में कुछ एकरूपता होनी चाहिये।

खण्ड (4) में 'स्थायी' शब्द के बारे में बहुत वाद-विवाद हो चुका है। उद्देश्य यह था कि शरणार्थी भारत में स्थायी रूप से निवास करने की घोषणा कर दें फिर चाहे वे किसी खास निर्वाचन-क्षेत्र में कुछ समय के लिये रह सकते हैं। उद्देश्य यह है। किसी नागरिक से भी यह आशा नहीं की जाती है या उसके लिये यह आवश्यक नहीं समझा जाता है कि वह किसी निर्वाचन-क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करे। अत: मैं नहीं समझता हूं कि शरणार्थियों के लिये कोई नई कठिन शर्त रखी जा रही है। केवल यह कहा जा रहा है कि उस निर्वाचन-क्षेत्र में निवास करने के उद्देश्य की वह घोषणा कर दें। इसके साथ-साथ भारत में स्थायी रूप से निवास करने की भी वह घोषणा करें।

एक और बात है, श्रीमान्, और मैं समझता हूं कि वह मतदाताओं की सूचियां तैयार करने से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। वह यह है कि शीघ्रातिशीघ्र निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमायें स्थिर करने के लिये एक कमीशन नियुक्त कर दिया जाये। यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि सीमायें स्थिर करने से पूर्व मतदाताओं की सूचियां तैयार की जायें। मैं नहीं समझता हूं कि यह तर्क ठीक है क्योंकि प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर सीमायें स्थिर करना जितना जनसंख्या पर निर्भर होगा उतना मतदाताओं की सूचियों पर नहीं। अत: दोनों कार्य साथ-साथ नहीं हो सकते और मैं भारतीय सरकार को यह सुझाव देने का अनुरोध करता हूं कि वह शीघ्र ही—और यदि आवश्यक समझा जाये तो विधान-परिषद् के अध्यक्ष के आदेशों से—सीमा स्थिर करने वाले कमीशन की नियुक्ति करे, जिससे कि इस वर्ष के समाप्त होते ही विधान-परिषद् का समस्त कार्य समाप्त हो जाये और जिससे कि

[माननीय श्री के. सन्तानम्]

मतदाताओं की सूचियों की तैयारी का अन्तिम कार्य और निर्वाचन के लिये अन्य कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति शीघ्रता से की जा सके।

एक और भी विचार है, जिसके कारण सीमा स्थिर करने वाले कमीशन को शीघ्रातिशीघ्र नियुक्त करने की आवश्यकता है। मतदाताओं की सूचियों की तैयारी के सम्बन्ध में भी उनका अन्तिम प्रकाशन तथा अन्य विषयों को निर्वाचन-क्षेत्र के अनुसार ही पूरा किया जा सकता है। अब तक हमने जो प्रावधान स्वीकार किये हैं उनके अनुसार प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में लोगों की संख्या लगभग समान होनी चाहिये। इसलिये जब तक निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा स्थिर नहीं की जाती है, हम यह नहीं जान सकते कि किस क्षेत्र के लिये मतदाताओं की सूचियां तैयार करनी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी अन्तिम तैयारी के लिये निर्वाचन क्षेत्रों के सीमाकरण की प्रतीक्षा करनी होगी। इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ कर देना चाहिये। श्रीमान्, मैं आशा करता हूं कि जो लोग इस प्रस्ताव को अमल में लाना चाहते हैं उनको इन बातों पर विचार करना चाहिये। जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा था, यह प्रस्ताव विधान-परिषद् की ओर से भारतीय सरकार को एक सामायिक आदेश के रूप में प्रारम्भिक कार्य तैयार करने के लिये है। यदि सौभाग्यवश अगली 15 अगस्त तक हम इस विधान को लागू कर सकें तो उस तारीख के पश्चात् जो अधिकारी बनेगा उसके द्वारा अथवा अध्यक्ष के द्वारा इस विषय में अन्तिम आदेश दिये जायेंगे।

***श्री मुहम्मद इस्माइल साहिब** (मद्रास : मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि निर्वाचनों की तैयारी करने और उनके होने में देर हो गई है। इस देर पर चाहे हम कितना ही खेद प्रकट करें, परन्तु मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रस्ताव उस देर की किसी रूप में भी समुचित क्षतिपूर्ति करेगा। इस प्रस्ताव को देखते ही मुझे अनेकों कठिनाइयां दिखाई दे जाती हैं। इस प्रस्ताव के शब्दों से और जैसी कि स्थिति है, उससे मुझे यह विदित होता है कि इस देर में कमी नहीं की जा सकती है। सर्वप्रथम इस प्रस्ताव के पहले खण्ड में यह कहा गया है कि "किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन-क्षेत्र की सूची में नहीं रखा जायेगा" और फिर इसके बाद (क) और (ख) इत्यादि हैं परन्तु हमें यह नहीं बताया गया है कि किनको रखा जायेगा; इसमें विषय को निषेधात्मक रीति से रखा गया है।

जो लोग मतदाताओं की सूचियां तैयार करेंगे वे किस प्रकार कार्य करें यह स्पष्ट नहीं बताया गया है। श्रीमान्, इस प्रस्ताव में केवल एक ही खण्ड (4) स्पष्ट है। उसमें यह कहा गया है कि "समुचित विधान-मण्डल के कानून के अधीन यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्व निवास स्थान से उपद्रव के कारण या उपद्रव से डर कर किसी प्रान्त या भारतीय संघ में सम्मिलित किसी रियासत में....." इत्यादि, इत्यादि। केवल यही स्पष्ट खण्ड है। हमें यह नहीं बताया गया है कि वे कौन लोग हैं, जिनको मतदाताओं की सूची में रखा जायेगा। इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। और फिर खण्ड (2) और (3) में जो तिथियां दी गई हैं, ऐसी हैं कि वे बहुत से उन लोगों को मताधिकार से वंचित कर देंगी जो चुनाव के समय मत देने के अधिकारी हो जायेंगे। श्रीमान्, इन तारीखों के पक्ष में यह कहा गया है कि यदि हम और कोई आगे की तिथि मान लेंगे, तो मतदाताओं की जो प्रारम्भिक सूचियां तैयार हो चुकी हैं उनमें गड़बड़ी हो जायेगी। मेरा आग्रह यह है कि इस बात के लिये लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं करना चाहिये। मतदाताओं की सूचियां तैयार करने में चाहे कितनी ही असुविधा क्यों न हो, अधिकारियों को इन तिथियों के स्थान में अन्य तिथियां रखनी चाहियें, क्योंकि मतदाताओं की सूचियां तैयार करने में जो अधिकारी लगे हुये हैं उनको जो कुछ भी असुविधायें होंगी उनकी अपेक्षाकृत लोगों का मताधिकार अधिक महत्त्वपूर्ण है। श्रीमान्, इस प्रस्ताव में आयु निश्चित करने की तिथि 1 जनवरी सन् 1949 दी है। यदि मान लीजिये कि 1 जनवरी सन् 1950 से और यहां तक कि 31 मार्च सन् 1950 से भी यदि आयु निश्चित की जाये, तो भी आयु निश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह होना चाहिये, चाहे इससे मतदाताओं की जो सूचियां तैयार हो चुकी हैं उनको सही करने में कुछ असुविधा क्यों न हो।

और फिर, श्रीमान्, निवास के लिये 31 मार्च सन् 1948 तिथि नियत की गई है। इसको सुविधापूर्वक 31 मार्च सन् 1949 कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग मतदाताओं की सूचियां तैयार करेंगे उनको यह जानना चाहिये कि कोई व्यक्ति वास्तव में कितने समय तक किस निर्वाचन-क्षेत्र में अथवा किस स्थान में रहा है। इस कारण मैं समझता हूं कि आयु निश्चित करने के लिये जो तिथि हम रखते हैं उसी तिथि को हम यहां नहीं रख सकते हैं। जो कुछ भी हो, यह तिथि 31 मार्च सन् 1949 में परिवर्तित की जा सकती है।

[श्री मुहम्मद इस्माइल साहिब]

तत्पश्चात् खण्ड (4) में मैंने उन कठिनाइयों के सम्बन्ध में कहा था, जो इस प्रस्ताव में दिये हुये विषय से उत्पन्न हो सकती है। इस खण्ड (4) में एक पद है। उसमें कहा गया है कि "समुचित विधान-मण्डल के कानून के अधीन.....।" यह स्पष्ट है कि इस विषय में माननीय प्रस्तावक महोदय के मन में वह कार्य प्रणाली है, जिसको इस विषय के लिये अंगीकार किया जायेगा। परन्तु जिस रूप में यह पद रखा हुआ है, उससे यह आशय प्रकट होता है कि समुचित विधान-मण्डल इस खण्ड के अर्थ में भी परिवर्तन कर सकता है और इसके वाक्य-विन्यास में भी परिवर्तन कर सकता है। इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसमें यह कहा गया हो कि समुचित विधान-मण्डल उन लोगों के मताधिकार में प्रभाव डालने के लिये कोई कार्य नहीं करेगा जिनका इस खण्ड (4) से सम्बन्ध है। अतः इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। जो कुछ यहां विचारा जाता है उसको यहां इस खण्ड की पदावली को और भी अधिक स्पष्ट बनाते हुये, स्पष्ट कर देना चाहिये अर्थात्, हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि यहां केवल कार्यप्रणाली से उद्देश्य है न कि स्वयं कानून से, और इस प्रस्ताव के अर्थ में किसी भी कानून-निर्माण से, जो अब से बाद में बनाया जायेगा, कोई अन्तर नहीं होगा और न उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

इसके पश्चात् इस प्रस्ताव के कुछ शब्दों और पदों के बारे में संशोधन पेश करने वाले कुछ व्यक्तियों ने जो कुछ कहा है उसमें बहुत शक्ति है। यह संकेत किया गया था कि "already" शब्द केवल उन प्रावधानों पर लागू होता है जो इस प्रस्ताव के पारित होने के पूर्व पारित हो चुके हैं। यदि इस शब्द को यहां रखा जाता है तो इससे बहुत अधिक झगड़े तथा वादविवाद उठ खड़े होंगे। इस कारण कोई हानि नहीं है.....।

***उपाध्यक्षः** क्या मैं यह कह सकता हूं कि "already" शब्द को निकालना स्वीकार कर लिया गया है।

***श्री मुहम्मद इस्माइल साहिबः** तब तो ठीक है।

मैं नहीं जानता हूं कि माननीय प्रस्तावक महोदय अथवा उनके प्रतिनिधि इस नागरिकता के विषय में क्या निश्चय करने वाले हैं। इस सम्बन्ध में कुछ आदेश होने चाहियें कि किन-किन व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा। यहां तो आपने

यह कहा है कि किन-किन व्यक्तियों को मतदाताओं की सूचियों में शामिल नहीं किया जायेगा। किन-किन व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित आदेश होने चाहियें।

इसके पश्चात् मैं समझता हूं, कि इस बात में कि इस प्रस्ताव को कोई वैधिक शक्ति प्राप्त नहीं है बहुत कुछ शक्ति है। माननीय श्री सन्तानम् ने यह बताया कि यह प्रस्ताव कोई वैधिक शक्ति अथवा अधिकार प्राप्त करने के लिये नहीं है, यह तो केवल मतदाताओं की सूचियां तैयार करने के प्रारम्भिक कार्य में और सामान्य निर्वाचन की तैयारी के लिए प्रारम्भिक कार्य में सुविधा प्रदान करने के लिये है। सम्भव है ऐसा हो। परन्तु इन तैयारियों के करने में कुछ बातें पैदा हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, कुछ लोग अपने नाम शामिल कराने के लिये अथवा अपने नामों के शामिल न किये जाने के विरुद्ध न्यायालय की शरण जायेंगे। इस प्रस्ताव को क्या शक्ति प्राप्त होगी और उन वादियों की क्या दशा होगी और इस प्रस्ताव की क्या स्थिति होगी? इस बात पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। इसी कारण मैंने कहा था कि जिस देर की हम क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं वह इस प्रकार के संशोधन द्वारा नहीं हो सकती है। यदि हम विधान के पारित करने में शीघ्रता करते और फिर निर्वाचन करने के प्रश्न को लेते तो अच्छा होता।

***माननीय श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहार : जनरल): श्रीमान्, अब इस विषय पर मत लिया जाये।

***श्री मुहम्मद इस्माइल साहिब:** इसके बाद, श्रीमान्, अल्पसंख्यक वर्गों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था।

***एक माननीय सदस्य:** कोई अल्पसंख्यक-वर्ग नहीं है।

***श्री मुहम्मद इस्माइल साहिब:** यह कहा जा सकता है कि इस प्रश्न पर मतदाताओं की सूचियां तैयार करने के पश्चात् विचार किया जा सकता है और मतदाताओं की सूचियों का ऐसा प्रबन्ध किया जा सकता है, अथवा उनमें ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है कि वे उन प्रावधानों के अनुकूल हो जायें जिनको यह महान् सभा बाद में पारित करेगी। परन्तु इसमें भी बहुत सी कठिनाइयां तथा असुविधायें होंगी और इस प्रकार से हम समय की कुछ भी बचत नहीं कर सकेंगे। यही मैं कहना चाहता था। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का पूरा सार यही

[श्री मुहम्मद इस्माइल साहिब]

है कि अधिक विलम्ब करने से बचा जाये। मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम वास्तव में ऐसा ही कर रहे हैं?

***माननीय श्री सत्यनारायण सिन्हा:** श्रीमान्, मैं फिर प्रस्ताव रखता हूं कि इस विषय पर अब मत लिया जाये।

***कुछ माननीय सदस्य:** नहीं, नहीं।

***उपाध्यक्ष:** मत लेने के प्रस्ताव पर, जो अभी पेश किया जा चुका है, मैं सभा के विचार जानना चाहूंगा।

***माननीय श्री सत्यनारायण सिन्हा:** आप इस पर मत ले लीजिये, श्रीमान्।

***उपाध्यक्ष:** मैं वादविवाद बन्द करने के प्रस्ताव पर मत ले रहा हूं:

प्रस्ताव यह है:

"कि अब इस विषय पर मत लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्ष:** डॉ. अम्बेडकर!

क्या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि उत्तर देने के पूर्व आप इस प्रस्ताव को जिस रूप में मान लिया गया है उस रूप में पढ़ देंगे।

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर:** जी हां, जिन परिवर्तनों को मैं स्वीकार करूंगा, उनका मैं संकेत कर दूंगा।

***श्री देशबन्धु गुप्ता:** उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. अम्बेडकर के उत्तर देने के पूर्व क्या मैं यह जान सकता हूं कि जिस औचित्य-प्रश्न को मैंने उठाया था उस पर आपने कोई आदेश दिया है या नहीं। मैंने एक औचित्य प्रश्न उठाया था कि जब तक 'already' शब्द नहीं हटाया जायेगा, इस प्रस्ताव से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 149.....।

उपाध्यक्ष: मैं समझता हूं कि 'already' शब्द को तो निकाल दिया गया है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इस प्रस्ताव के प्रस्तावक की ओर से मैं वाद-विवाद का उत्तर देता हूं।

विस्तृत रुप में रखे गये संशोधनों को लेने से पूर्व में स्वयं प्रस्तावक द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव में कुछ संशोधन रखना चाहूंगा।

सबसे पहला संशोधन जिसको मैं पेश करता हूं, वह यह है कि पैरा 2 में से 'already' शब्द को निकाल दिया जायें।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि खण्ड (क) के उपखण्ड (1) को निकाल दिया जाये और दूसरे उपखण्ड के आरम्भ में से "(ख)" शब्द को कोष्ठकों सहित निकाल दिया जाये जिससे कि उपखण्ड (1) इस प्रकार पढ़ा जाये:

"That no person shall be included in the electoral roll of any constituency if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court."

(किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में नहीं रखा जायेगा, यदि उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो और किसी अधिकार सम्पन्न न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई हो।)"

इसके बाद (4) में मैं निम्न संशोधनों का प्रस्ताव रखता हूं। ["subject to the law of the appropriate legislature" (समुचित विधान-मण्डल के कानून के अधीन) शब्द, जो कि उस पैरे की पंक्ति में हैं, उनके स्थान में "notwithstanding anything in paragraph (3) above" उपरोक्त पैरा (3) में किसी बात के होते हुये भी] शब्द रखने का मेरा संशोधन है। उस पैरा की पंक्ति 5 में "a constituency" (निर्वाचन क्षेत्र) के स्थान में "an area" (क्षेत्र) शब्द रखा जाये। इसी पैरे की इसी पंक्ति में "files" (दाखिल कर दे) शब्द के पश्चात् "or makes" (अथवा घोषणा कर दे) शब्द और जोड़ दिये जायें।

उसी पैरे की अन्तिम पंक्ति में "constituency" (निर्वाचन-क्षेत्र) शब्द के स्थान में "area" (क्षेत्र) शब्द रख दिया जाये।

मेरे ये संशोधन हैं। मैं संक्षेप में अपने संशोधनों की व्याख्या करूंगा। "already" शब्द को हटाने के लिये जो संशोधन मैंने पेश किया है, उससे श्री देशबन्धु गुप्त द्वारा उठाये गये औचित्य-प्रश्न की पूर्ति हो जाती है।

***श्री एच.वी. कामतः** एक औचित्य-प्रश्न है श्रीमान्, क्या डॉ. अम्बेडकर ने नये संशोधन पेश किये हैं? यदि किये हैं तो उस अवस्था में इन संशोधनों पर वाद-विवाद होना चाहिये। श्रीमान्, मैं आपका आदेश चाहता हूं।

***उपाध्यक्षः** लेटिन में एक कहावत है, जिसको मैंने वर्षों पूर्व याद किया था:

"Summum Justice summum injuris."

(कानून का लेख प्राण हरता है पर उसकी भावना प्राणदान देती है)

***श्री एच.वी. कामतः** इस परिषद् में हमें यथाशक्ति कानून के लेख तथा उसकी भावना दोनों का ही पालन करना पड़ता है।

***उपाध्यक्षः** मैं कानून की भावना का पालन कर रहा हूं। मैं इस बात की चिन्ता नहीं करता कि मैं किन-किन नियमों का उल्लंघन कर जाता हूं।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, क्या मैं यह कह सकता हूं.....।

***उपाध्यक्षः** क्या माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह निराशाजनक कार्य-प्रणाली है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, जैसा कि मैंने कहा था यह सच है कि "already" शब्द उन उलझनों को पैदा करता है जो श्री देशबन्धु गुप्त ने बताई हैं और सही मार्ग यही है कि "already" शब्द को हटा कर इन आपत्तियों को मिटा दिया जाये।

खण्ड (1) को निकाल देने के दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में, चूंकि उस खण्ड का आशय पैरा (3) और (4) में निहित है, इसलिये वह निरा अनावश्यक प्रतीत होता है।

"समुचित विधान-मण्डल के कानून के अधीन" शब्दों के स्थान में "उपरोक्त पैरा (3) में किसी बात के होते हुये भी" शब्दों को रखने के मेरे आगे के संशोधन के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के खण्ड में मूल शब्द वास्तव में अनावश्यक और अनुचित हैं। उपखण्ड (4) वास्तव में उपखण्ड (3) का एक अपवाद है। वह विषय मेरे संशोधन से स्पष्ट हो गया।

इस आलोचना से बचने के लिये कि जिस समय मतदाताओं की सूचियां तैयार की जायेंगी, उस समय निर्वाचन-क्षेत्र नहीं होंगे और कोई व्यक्ति यदि कुछ संकेत कर सकता है तो वह 'क्षेत्र' का न कि 'निर्वाचन-क्षेत्र' का, क्योंकि उस समय तक निर्वाचन-क्षेत्र बन ही न पायेंगे, मैंने 'निर्वाचन-क्षेत्र' के स्थान में 'क्षेत्र' शब्द रख दिया है।

"अथवा घोषणा कर दे" शब्द जोड़ देने का मेरा संशोधन उस आलोचना के सम्बन्ध में है जो यहां की गई थी कि ऐसे बहुत से मनुष्य हैं, जो निरक्षर हैं और जो आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं तथा किसी अफसर के यहां उसे पेश नहीं कर सकते हैं। "अथवा घोषणा कर दे" जोड़े देने से वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अथवा मतदाताओं की सूचियां तैयार करने वाले अफसर के सामने मौखिक घोषणा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह आपत्ति भी उचित रूप से दूर हो गई।

अब मैं अन्य संशोधनों पर विचार करूंगा जो इस प्रस्ताव पर पेश किये गये हैं।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** क्या मैं प्रस्तावक महोदय के एक संशोधन का सुझाव दे सकता हूं कि उनका तर्क पैरा (4) में 'निर्वाचन-क्षेत्र' के संशोधन में.....

***उपाध्यक्ष:** आप यह सभा से नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर से कह सकते हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं समनुवर्त्ती आवश्यक परिवर्तन कर सकता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अन्य संशोधनों को लूंगा, उसके अनुसार मैं अपने मित्र श्री त्यागी के संशोधन को लेता हूं। यदि मैंने उनको ठीक-ठीक समझा है तो इस संशोधन के सामान्य रूप पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वे यह चाहते हैं कि इसके विस्तार को हटा दिया जाये। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्थिति श्री त्यागी ने ग्रहण की है उससे यह संकेत मिलता है कि उनके मन में इस प्रस्ताव के लक्ष्य या उद्देश्य के बारे में गड़बड़ी है। इस प्रस्ताव का लक्ष्य तो केवल यही है कि ऐसी घोषणा कर दी जाये कि इस विधान-परिषद् का यह विचार है कि जहां तक हो सके, निर्वाचन सन् 1950 में कर लिये जायें परन्तु

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है समस्त निर्वाचनों की आधारभूत मतदाताओं की सूचियों को तैयार करने वाले प्राधिकारियों को कुछ निश्चित आदेश दे दिये जायें। मतदाताओं की सूचियां तैयार करने के कार्य से सम्बंधित प्राधिकारियों को आदेश दिये बिना केवल यह घोषणा करना कि निर्वाचन 1950 में होंगे, निस्सार तथा निर्रथक होगा। क्योंकि निर्वाचन तिथि से यथेष्ट समय पूर्व यदि मतदाताओं की सूचियां तैयार नहीं होती हैं, तो निर्वाचन किसी प्रकार भी नहीं हो सकता है। इस प्रस्ताव के दूसरे भाग में विभिन्न प्राधिकारियों के लिये आदेश रखे गये हैं और यदि इस प्रस्ताव में आदेश न रखे जायें तो वह एक पवित्र घोषणा मात्र होगा जिसका कुछ भी अर्थ नहीं। जिन विधियों तथा आदेशों के द्वारा लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं उनको निश्चित किये बिना यह लक्ष्य स्थिर करने के समान है और मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री त्यागी यह समझ गये होंगे कि वास्तव में प्रस्ताव के जिस भाग को वे निकालना चाहते हैं, वह उस भाग से अधिक महत्त्वपूर्ण है जिसको वे रखना चाहते हैं। अब मैं अपने मित्र श्री हनुमन्थैया के संशोधन पर आता हूं।

***श्री महावीर त्यागी:** "already" शब्द के प्रति आपके क्या विचार हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं कह चुका हूं कि मैं उसको हटा दूंगा। श्री हनुमन्थैया के संशोधन के सम्बन्ध में वे चाहते है कि 'सन् 1950 में' शब्दों को निकाल दिया जाये। उनके तर्कों में बहुत कुछ सार है, क्योंकि उनके विचारानुसार इस प्रस्ताव द्वारा यदि निर्वाचन-तिथि सन् 1950 नियत करने की यह विधान-परिषद् घोषणा कर दे और कुछ कारणवश, चाहे वे मतदाताओं की सूचियां तैयार करने के सम्बन्ध के हों अथवा अन्य परिस्थितिवश हों, सन् 1950 में निर्वाचन न कर सके तो यह परिषद् एक गम्भीर स्थिति में पड़ जायेगी। इस परिषद् पर यह दोषारोपण किया जायेगा कि उसने इस विषय को तुच्छ समझा जब कि वास्तव में वह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। परन्तु इसके साथ-साथ प्रस्तावक महोदय ने जो कुछ कहा था उसको विचार में रखते हुये कि देश में कुछ ऐसी भावना वर्तमान है कि इस विधान के पारित करने में जिस शीघ्रता से कार्य करना चाहिये, उस शीघ्रता से हम कार्य नहीं कर रहे हैं और हमारी कार्य-प्रणाली बहुत ही अवकाशमय तथा धीमी है और यह इस कारण है कि हम शीघ्र निर्वाचन करने के बारे में गंभीर नहीं हैं—देश में इस प्रकार की भावना को दूर करने के लिये

यह आवश्यक है कि हम कोई तिथि निश्चित करें और इस विचार से 'सन् 1950 में' शब्दों का रखना आवश्यक हो जाता है। यह सच है कि यदि न्यायसंगत कारणों से इस तिथि को स्थगित करना आवश्यक हो जायेगा, तो यह परिषद् निर्वाचन-तिथि को अवश्य स्थगित करेगी और मुझे विश्वास है कि यदि परिषद् ऐसे सारपूर्ण आधारों को देश के सम्मुख रखेगी जो बहाने मात्र न हों तो इसमें सन्देह नहीं कि देश उस परिवर्तन को तथा तिथि-स्थगन को मान लेगा।

मेरे मित्र श्री सक्सेना यह चाहते हैं कि 1 जनवरी सन् 1949 के स्थान में 1 जनवरी सन् 1950 कर दी जाये। श्री भार्गव चाहते हैं कि 31 मार्च सन् 1948 के स्थान में 31 मार्च सन् 1949 रखा जाये। अब तक जो कुछ हो चुका है उस पर विचार करते हुये इन दिनों संशोधनों में से किसी को भी स्वीकार करना सम्भव नहीं है। यदि मैंने ठीक-ठीक समझा है, श्री सक्सेना के संशोधन में यह आपत्ति की गई है कि निर्वाचन करने की तिथि और उस तिथि में जिस तिथि को मतदाताओं की सूचियां तैयार होती हैं बहुत अन्तर नहीं होना चाहिये। दूसरे शब्दों में मतदाताओं की सूचियां पुरानी तथा पिछले समय की नहीं होनी चाहिये। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हमारा निर्वाचन सन् 1950 में होता है तो मतदाताओं के 1 जनवरी सन् 1949 को प्रौढ़ होने के आधार पर जो सूची तैयार की जाती है वह किसी प्रकार से भी पुरानी नहीं समझी जा सकती है। मेरे मित्र श्री सक्सेना इस तथ्य से परिचित होंगे कि मतदाताओं की समस्त सूचियां निर्वाचन-तिथि से एक वर्ष पीछे की होती हैं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** वह दो वर्ष पुरानी हो जायेंगी।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** अत: यदि एक ही योग्यता के आधार पर कि वे 1 जनवरी सन् 1949 को 21 वर्ष के हो जायें, लोगों को सूचियों में मतदाता बनने का अधिकार मिल जाता है और यदि सन् 1950 में या किसी ऐसी तिथि को जिसका विनिधान नहीं किया जा सकता है, निर्वाचन किया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह नहीं कहा जा सकता कि मतदाताओं की सूचियां पुरानी हो जायेंगी।

अब मैं पंडित भार्गव के संशोधन को लेता हूं। वे चाहते हैं कि 31 मार्च सन् 1949 तिथि रखी जाये। इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

सन् 1950 में निर्वाचन करने की आशा से प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर मतदाताओं की सूचियां तैयार करने के लिये विभिन्न प्रान्तीय सरकारों को 1 मार्च सन् 1948 को आदेश दिये जा चुके हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हम पंडित भार्गव के संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं, तो इस आधार पर प्रान्तीय सरकारों ने जो कार्य अब तक कर लिया है, उसे हम रद्द कर देंगे। मैं नहीं समझता हूं कि जो काम हो चुका है उसको रद्द किया जायें, क्योंकि 1 जनवरी सन् 1948 को जो प्रौढ़ हो जायंगे वे उन सूचियों में आ जायेंगे जो तैयार हो चुकी हैं।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** क्या उपखंडिका (2) में 1 जनवरी सन् 1949 को 31 मार्च सन् 1948 में परिवर्तित करना भी आवश्यक नहीं है?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूं।

अब मैं अपने मित्र श्री चौधरी के संशोधन को लेता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी ऐसी बात को रखना चाहते हैं जो यदि हास्यास्पद नहीं तो असम्भव अवश्य है। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो विक्षिप्त है मताधिकार से वंचित रखा जाये। हम सब इस बात में सहमत हैं कि विक्षिप्त मनुष्यों को मतदाताओं की सूचियों में शामिल नहीं करना चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि यह कौन निश्चित करे कि कौन मनुष्य विक्षिप्त है और कौन नहीं। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव में जो शर्त दी गई है, कि किसी व्यक्ति को मतदाताओं की सूची से तभी पृथक् किया जायेगा जब कि वह किसी निष्पक्ष न्यायिक प्राधिकारी द्वारा विक्षिप्त मनुष्य ठहरा दिया जाये, वह शर्त सबसे अधिक पुष्ट है। अन्यथा गांव के पटवारी को यह अधिकार देना कि वह जिस किसी को विक्षिप्त समझे उसे मतदाताओं की सूचियों में न रखे प्यादे को फर्जी बनाना है, और मैं समझता हूं कि ऐसा संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

मेरे मित्र श्री कामत् ने एक उस खण्ड के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई थी, जो उस दिन स्वीकार किया गया था और जिसमें मनोविक्षेप के साथ-साथ कुछ अन्य निर्योग्यताओं का भी उल्लेख किया गया था, विशेषकर अपराध सम्बन्धी निर्योग्यतायें।

***श्री देशबन्धु गुप्तः** क्या पागलखाने के सभी लोगों को मतदाताओं की सूचियों में रखा जायेगा?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** अन्य प्रान्तों के बाबत तो मैं जानता नहीं हूं, पर जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है जब तक चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट यह घोषणा न करे कि यह व्यक्ति विक्षिप्त है, तब तक कोई पागलघर उसे दाखिल नहीं करेगा।

***उपाध्यक्षः** और यही बात बंगाल में है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** और बंगाल में भी ऐसी ही बात मालूम होती है। यह बात बुद्धि विक्षिप्त सम्बन्धी अधिनियम में है।

अपराध के प्रश्न पर मुझे केवल यही कहना है कि उस विशिष्ट अनुच्छेद में 'अपराध' शब्द का प्रयोग करने में मसौदा-समिति ने भारतीय सरकार के अधिनियम की छठी अनुसूची में जो प्रावधान था उसको ज्यों का त्यों रख दिया है और मैं समझता हूं कि उस अनुच्छेद में जो कुछ दिया हुआ है उससे अधिक कोई बात मसौदा-समिति के विचार में भी न थी। उस अनुच्छेद के अनुसार किसी अपराध का करना स्वयं कोई निर्योग्यता नहीं है। निर्योग्यता तो तब है जब कि उस व्यक्ति को सज़ा दी जाती है और जेल में रखा जाता है। जेल में रहने के समय उनको मत देने का अधिकार नहीं रहता है। इस प्रश्न को फिर लिया जा सकता है, जब कि हम उस अनुच्छेद में दी हुई निर्योग्यताओं पर विचार करेंगे, जिसका श्री कामत ने उल्लेख किया है।

***श्री एच.वी. कामतः** क्या मैं यह समझूं कि पातक, भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण इत्यादि के कारण यदि कोई व्यक्ति पहले अपराधी सिद्ध किया गया हो, तो ये बातें निर्योग्यता के रूप में नहीं होंगी अथवा उसके मतदाता होने में बाधक नहीं होंगी?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** जी हाँ, और इन बातों का विनिधान संसद् करेगी।

***उपाध्यक्षः** अब मैं एक-एक करके उन संशोधनों पर मत ले रहा हूं, जो इस सभा में पेश किये जा चुके हैं। सबसे पहला श्री रोहिणीकुमार चौधरी के नाम का

[उपाध्यक्ष]

है और उनके दो संशोधन हैं। मैं एक-एक करके उन पर मत ले रहा हूं। प्रस्ताव यह है:

"कि प्रस्ताव की उपधारा (ख) में से 'and stands so declared by competent court' (और किसी अधिकार सम्पन्न न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई हो) शब्दों को निकाल दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्ष:** अब मैं दूसरे भाग पर मत लेता हूं।

प्रस्ताव यह है:

"कि उपखण्ड (4) में से permanently (स्थायी रूप से) शब्द को, जो पंक्ति 6 में आता है, निकाल दिया जाये।"

(बाधायें)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्ष:** मैं जानता हूं कि दीर्घावकाश होने से एक दिन पूर्व स्कूल के छात्र सदैव बुद्धिमता का व्यवहार नहीं करते हैं।

आगे का संशोधन श्री ठाकुरदास भार्गव का है।

प्रस्ताव यह है:

"कि 'files a declaration' (लिखित घोषणा-पत्र दाखिल कर दे) के स्थान में 'expresses the intention' (प्रकट कर दे) शब्द रखे जायें।"

परन्तु डॉ. अम्बेडकर ने जो कुछ स्वीकार कर लिया है, यह उसके अन्तर्गत आ जाता है।

इसके पश्चात् उनका दूसरा संशोधन यह है कि पैरा 3 में "31 मार्च सन् 1948" के स्थान में "31 मार्च सन् 1949" कर दिया जाये।

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्ष:** इसके पश्चात् हम श्री हनुमन्थैया के संशोधन को लेते हैं।

***श्री के. हनुमन्थैया:** श्रीमान्, मैं सभा से अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति मांगता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापिस किया गया।

***उपाध्यक्ष:** अब हम श्री नागप्पा के संशोधन को लेते हैं। परन्तु वह डॉ. अम्बेडकर के संशोधन के अन्तर्गत आ जाता है, अत: उस पर मतदान नहीं होगा।

इसके बाद श्री त्यागी का संशोधन है।

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, मैं अपना संशोधन वापिस करने की सभा से अनुमति मांगता हूं।

(सभा की अनुमति से संशोधन वापिस किया गया।)

***उपाध्यक्ष:** इसके बाद 1 जनवरी सन् 1949 के स्थान में 1 जनवरी सन् 1950 रखने का प्रो. सक्सेना का संशोधन है।

प्रस्ताव यह है:

"कि '1 जनवरी सन् 1949' के स्थान में '1 जनवरी सन् 1950' रखा जाये।"

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्ष:** दूसरा भाग डॉ. अम्बेडकर ने स्वीकार कर लिया है, अत: उस पर मत लेना आवश्यक नहीं है। इसके बाद हम तीसरे भाग पर आते हैं। परन्तु वह भी डॉ. अम्बेडकर के संशोधन के अन्तर्गत आ जाता है।

परन्तु उनका इस प्रकार का एक और संशोधन भी है।

प्रस्ताव यह है:

"कि उपखण्डिका (4) की अन्तिम पंक्ति में से 'Permanently' (स्थायी रूप से) शब्द को निकाल दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्ष:** अब मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधनों द्वारा संशोधित रूप में प्रस्ताव पर मत लेता हूं। क्या सभा यह चाहती है कि मैं उसे पढ़ूं?

***माननीय सदस्य :** जी नहीं।

*उपाध्यक्ष: अत: प्रस्ताव यह है:

"कि संशोधित रूप में यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाये।"

संशोधित रूप में प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

---

†Resolved that instructions be issued forthwith to the authorities concerned for the preparation of electoral rolls and for taking all necessary steps so that elections to the Legislatures under the new Constitution may be held as early as possible in the year 1950.

Resolved further that the State electoral rolls be prepared on the basis of the provisions of the new Constitution agreed to by this Assembly and in accordance with the principles hereinafter mentioned, namely:—

(1) That no person shall be included in the electoral roll of any area if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court.

(2) That 1st January, 1949 shall be the date with reference to which the age of the electors is to be determined.

(3) That a person shall not be qualified to be included in the electoral roll for any area unless he has resided in that area for a period of not less than 180 days in the year ending on the 31st March, 1948. For the purposes of this paragraph, a person shall be deemed to be resident in any area if he ordinarily resides in that area or has a permanent place of residence therein.

(4) That, notwithstanding anything in paragraph (3) above, a person who has migrated into a Province or Acceding State on account of disturbances or fear of disturbances in his former place of residence shall be entitled to be included in the electoral roll of an area if he files or makes a declaration of his intention to reside permanently in that area.

[यह निश्चय किया जाता है कि तत्सम्बन्धी अधिकारियों को मतदाताओं की सूचियां तैयार करने और समस्त आवश्यक प्रबन्ध करने के लिये आदेश दे दिये जायें, जिससे कि नये विधान के अन्तर्गत विधान-मण्डलों का निर्वाचन सन् 1950 में शीघ्र से शीघ्र किया जा सके।

आगे यह और निश्चय किया जाता है कि राज्यों की मतदाताओं की सूचियां नये विधान के इस परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रावधानों के आधार पर तथा उन सिद्धान्तों के अनुसार जो यहां दिये गये हैं, तैयार की जायें, अर्थात्....

(1) किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में नहीं रखा जायेगा, यदि उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो और किसी अधिकार सम्पन्न न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई हो।

(2) 1 जनवरी सन् 1949 की तिथि मतदाताओं की आयु निश्चित करने के लिये होगी।

(3) कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं होगा, जब तक कि तारीख 31 मार्च सन् 1948 ई. को समाप्त होने वाले वर्ष में उसने उस क्षेत्र में कम से कम 180 दिनों तक निवास न किया हो। इस पैरा के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति उस क्षेत्र का निवासी समझा जायेगा, जिसमें वह सामान्यतया रहता हो या जिसमें उसका स्थायी निवास स्थान हो।

(4) उपरोक्त पैरा (3) में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्व निवासस्थान से उपद्रव के कारण या उपद्रव से डर कर किसी प्रान्त या भारतीय संघ में सम्मिलित किसी रियासत में चला गया हो, तो वह उस क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा, जिसमें अपने स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य का वह लिखित घोषणा-पत्र दाखिल कर दे या घोषणा कर दे।]

विधान का मसौदा-(जारी)

अनुच्छेद 149-(जारी)

***उपाध्यक्षः** अब हम अनुच्छेद 149 पर आते हैं। मैं समझता हूं कि इस अनुच्छेद पर काफी वाद-विवाद हो चुका है और अब डॉ. अम्बेडकर उत्तर देंगे।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 149 के वाद-विवाद के उत्तर में मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं अपने संशोधन के सम्बन्ध में, जिसकी संख्या 2255 थी, अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। इस संशोधन को वापिस करने की मैं सभा से अनुमति चाहता हूं और उसके स्थान में सूची 2 में मि. नज़ीरुद्दीन के संशोधन संख्या 48 द्वारा संशोधित संशोधन संख्या 2249 को मैं स्वीकार करता हूं।

सूची 6 में श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के संशोधन संख्या 62 और 66 को, श्री भार्गव के संशोधन द्वारा संशोधित रूप में संशोधन संख्या 2252 को और श्री शिब्बनलाल सक्सेना के संशोधन संख्या 67 द्वारा परिवर्तित रूप में संशोधन संख्या 2263 को भी मैं स्वीकार करता हूं।

श्रीमान्, जहाँ तक इस अनुच्छेद पर सामान्य वाद-विवाद का सम्बन्ध है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि केवल दो ही बातें हैं जिनका उत्तर देना है। पहली बात नये निर्वाचनों के लिये जनगणना के आंकड़ों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में है। इस बात पर बहुत से वक्ताओं ने अपने अधिकांश तर्कों को इस बात पर केन्द्रित किया था कि कुछ प्रान्तों में सही जनगणना नहीं हुई है और जहां तक विभिन्न सम्प्रदायों के परस्पर अनुपात का विषय है, वह जनगणना उस अनुपात की सच्ची प्रतीक नहीं है। मैं समझता हूं कि ये तर्क बहुत शक्तिशाली हैं और मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि कोई चाहे तो इस आलोचना को सिद्ध करने के लिये जनगणना के कमिश्नर की रिपोर्टों में से काफी सबूत इकट्ठा कर सकता है। इस विषय पर जनगणना के कमिश्नर ने जो विवरण दिया है, उसका मैंने उल्लेख करना चाहा था। परन्तु चूंकि समय नहीं है, इस कारण यह अच्छा होगा कि मैं उसका उल्लेख न करूं। एक बात और भी है कि अधिकांश सदस्य, जो इस विषय पर बोले हैं, इस विषय में मुझसे अधिक जानते हैं। मैं केवल एक बात

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जनगणना में इन कार्यवाहियों के कारण जिन लोगों को सब से अधिक हानि हुई है वे अनुसूचित जातियां हैं। (*वाह, वाह*) उदाहरणार्थ, पंजाब में अन्य सम्प्रदाय अपनी शक्ति बढ़ाने तथा अपने लिये विधान-मण्डलों में और भी अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये अनुसूचित जातियों को हड़पने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे गरीब लोग जो अधिकतर भूमिविहीन मजदूरों की तरह से गांवों में इधर-उधर बिखरे पड़े हैं, जिनको कोई आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं है—प्राधिकारियों, पुलिस अथवा न्याय विभाग का जिनको कोई सहारा नहीं है—उनको कुछ शक्तिशाली सम्प्रदायों द्वारा या तो उसी विशिष्ट सम्प्रदाय के अपने सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में भेजने के लिए बाध्य किया गया है, या निर्वाचनों में मतदाता की कोटि में उनको नाम न लिखाने के लिये बाध्य किया गया है। मैं जानता हूं कि बंगाल में ऐसी बातें बहुत हुईं। कुछ कारणोंवश जिनको मैं नहीं समझा सका हूं, वहां की अनुसूचित जातियों के अधिकांश सदस्यों ने अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि भेजना स्वयं अस्वीकार किया। इस बात को स्वयं जनगणना के कमिश्नरों ने लिखा है। इस कारण मैं उन बातों को पूर्णतया समझता हूं कि जिनको अनेकों सदस्यों ने इस विषय पर भाषण देते हुये बताया था कि इस जनगणना के आंकड़ों को मानना उचित नहीं होगा।

***एक माननीय सदस्यः** आसाम के बारे में क्या है?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** आसाम के बारे में भी यही सच होगा। उससे मैं भली प्रकार परिचित नहीं हूं। जैसा कि मैंने कहा था, मैं इस बात को पूर्णतया समझता हूं कि जनगणना के इन आंकड़ों को मानना तथा निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमायें स्थिर करना या विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों में तथा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों में स्थान नियत करना उचित नहीं होगा। इस बात के लिये, कि अगला निर्वाचन प्रान्तों की जनगणना के तथा सम्प्रदायों की भी जनगणना के सम्बन्ध में ठीक-ठीक निर्वाचन हो, कुछ न कुछ करना होगा। इस समय मैं केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि जिन लोगों पर इस कार्य की जिम्मेवारी होगी, उनको मैं इन भावनाओं की सूचना भेज दूंगा और इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि इस विषय पर उचित ध्यान दिया जायेगा।

श्रीमान्, यदि उन सदस्यों को जो इस विषय में अभिरुचि रखते हैं, मेरे इस आश्वासन से सन्तोष नहीं है, तो इस समय तो ऐसा नहीं हो सकता है पर फिर कभी वे अनुच्छेद 149 पर संशोधन पेश कर सकते हैं कि यदि अध्यक्ष यह आवश्यक समझे तो जिन शिकायतों का हवाला दिया गया है उनको दूर करने के

लिये बीच में कभी जनगणना करा सकता है। वास्तव में मेरे पास एक मसौदा है जिस पर कभी बाद की तारीख में विचार किया जा सकता है। इस प्रकार के किसी मसौदे पर विचार किया जा सकता है: "आगे और यह प्रावहित किया जाता है कि किसी राज्य के विधान-मण्डलों के अनेक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्राथमिक प्रतिनिधित्व को उस अन्य रीति से, जिसका अध्यक्ष आदेश द्वारा निर्देश करे, निश्चित किया जा सकता है।" यह यथेष्ट विस्तृत रूप में है और जो कठिनाइयां बताई गई हैं उनको दूर कर देगा।

***एक माननीय सदस्य:** आप इसे इसी समय पेश क्यों नहीं करते हैं?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** इसके लिये अब समय नहीं है। यदि सदस्य मेरे आश्वासन पर विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हैं, तो किसी उपयुक्त समय पर यह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

मेरे माननीय मित्र प्रो. सक्सेना ने संशोधन संख्या 64 में जिस प्रश्न को उठाया है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि जिस परादिक को वे रखवाना चाहते हैं, वह बड़ा ही आवश्यक है। सभा को यह याद होगा कि उसका सम्बन्ध प्रतिनिधान में पासंग से है। इस विधान में हमने हर प्रकार के पासंगों को निकाल दिया है, समस्त अल्पसंख्यक-वर्गों के पासंगों को हमने दूर कर दिया है। केन्द्रीय विधान-मण्डल के प्रतिनिधान में राज्य-क्षेत्रों के पासंग को हमने दूर कर दिया है। ब्रिटिश भारत और राज्यों के प्रतिनिधियों के परस्पर पासंग को हमने दूर कर दिया है। अत: मैं समझता हूं कि ठीक यही है कि उसी सिद्धान्त का विधान-मण्डल के प्रतिनिधान के सम्बन्ध में भी प्रयोग किया जाये। इसलिये मैं उस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि अन्य और कोई बात विचार करने अथवा उत्तर देने के योग्य नहीं है। अत: मैं सभा से अनुच्छेद 149 को संशोधित रूप में स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** अब मैं एक-एक करके संशोधनों पर मत ले रहा हूं।

प्रस्ताव यह है:

"कि खण्ड (2) के पश्चात् निम्न खण्ड जोड़ दिया जाये:

'(2-a) No person shall be entitled to be a candidate or offer himself for election to either House of a State

[उपाध्यक्ष]

Legislature, if Bicameral, or to the Legislative Assembly of the State, who is duly certified to be of unsound mind, or suffering from any other physical or mental incapacity, duly certified, or is less than 25 years of age at the time of offering himself for election, or has been proved guilty of any offence against the safety, security or integrity of the Union, or of bribery and corruption, or of any malpractice at election, or is illiterate.

'No one who is unable to read or write or speak the principal language spoken in the State for a seat in whose Legislature he offers himself for election, or after a period of ten years from the date of the coming into operation of this Constitution, is unable to read or write or speak the National Language of India, shall be entitled to be a candidate for or offer himself to be elected to a seat in the State Legislature or either House thereof.'

'(2-b) The election shall be on the basis of proportional representation with a Single Transferable Preference Vote. For the purpose of election, every State shall be deemed to be a single constituency, and every member shall be deemed to have been elected in the order of Preference as recorded by the electors; and this arrangement shall hold good in the case of a General Election, as well as at a by-election, if and when one becomes necessary:

Provided that where there is a second chamber in any State, the voters may be grouped, for electing members to the Legislative Council, on the basis of trade, profession, occupation or interest recognised for the purpose by an Act of the State Legislature, each trade, profession, occupation or interest voting as a single constituency for the entire State.' "

[(2-क) राज्य के विधान-मण्डल में या राज्य के विधान-मण्डल के किसी भी आगार में यदि वह द्विआगारिक है तो कोई भी व्यक्ति, जो उचित

रीति से विक्षिप्त अथवा अन्य किसी प्रकार के शारीरिक अथवा मानसिक असामर्थ्य से पीड़ित प्रमाणित कर दिया गया है, या निर्वाचित होने के लिये अपने आपको प्रस्तुत करते समय 25 वर्ष की आयु से कम का है, या संघ की क्षेत्र, सुरक्षा अथवा अक्षुण्णता के विरुद्ध या उत्कोच तथा दुराचार के प्रति या निर्वाचन में भ्रष्टाचार के प्रति किसी अपराध का दोषी सिद्ध कर दिया गया है या निरक्षर है, तो वह निर्वाचित होने के लिये अपने आपको प्रस्तुत करने का या उम्मीदवार बनने का अधिकारी न होगा।

कोई भी व्यक्ति यदि उस राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा को लिख, पढ़ या बोल नहीं सकता है, जिसके विधान-मण्डल में स्थान प्राप्त करने के लिये निर्वाचन में वह अपने आपको प्रस्तुत करता है या इस विधान के प्रवर्त्तन में आने की तिथि से दस वर्ष की अवधि के पश्चात् भारत की राष्ट्रीय भाषा को लिख, पढ़ या बोल नहीं सकता है, तो वह राज्य के विधान-मण्डल या उसके किसी आगार में निर्वाचित होने के लिये अपने आपको प्रस्तुत करने का या उम्मीदवार बनने का अधिकारी न होगा।

(2-ख) निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधान के आधार पर एकल संक्राम्य प्रश्रयात्मक मत-पद्धति के अनुसार होगा। निर्वाचन के लिये प्रत्येक राज्य को एक निर्वाचन-क्षेत्र समझा जायेगा और निर्वाचकों द्वारा लिखित प्रश्रयात्मक क्रम के अनुसार प्रत्येक सदस्य निर्वाचित समझा जायेगा; और सामान्य निर्वाचन करने में तथा यदि कभी आवश्यक हो तो उप-निर्वाचन करने में भी यही प्रबन्ध ठीक समझा जायेगा:

परन्तु किसी राज्य में जहां दूसरा आगार है, वहां इस प्रयोजन के लिये राज्य के विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा अभिस्वीकृत व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति अथवा हित के आधार पर मतदाताओं के समूह बनाये जा सकते हैं और समस्त राज्य के लिये प्रत्येक व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति अथवा हित एक-एक निर्वाचन-क्षेत्र के रूप में मतदान करेगा।]

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्ष:** संशोधन संख्या 2248 । प्रस्ताव यह है:

"कि अनुच्छेद 149 खण्ड (3) को निकाल दिया जाये और उसके स्थान में निम्न खण्ड रखा जाये:

'The representation in the State Legislature shall be on the basis of one representative for every lakh of population:

Provided that the total number of members in the Legislative Assembly of a State shall in no case be less than sixty.' "

(प्रति लाख जनगणना के लिये एक प्रतिनिधि के आधार पर राज्य के विधान-मण्डल में प्रतिनिधान होगा:

परन्तु किसी दशा में भी किसी राज्य के विधान-मण्डल के समस्त सदस्यों की संख्या साठ से कम नहीं होगी।)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्ष:** संशोधन संख्या 2249 पर पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा प्रस्तुत किया गया एक अल्पकाल सूचित संशोधन है।

***पंडित ठाकुरदास भार्गव:** श्रीमान्, मैं उसे वापिस लेना चाहूंगा। परिषद् की अनुमति से संशोधन वापिस किया गया।

***उपाध्यक्ष:** सूची 2 का संशोधन संख्या 48 । प्रस्ताव यह है:

"कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2249 के स्थान में निम्न संशोधन रखा जाये:

'कि अनुच्छेद 149 के खण्ड (3) में "last preceding census" (अन्तिम पूर्ववर्त्ती जनगणना) शब्दों के स्थान में "last preceding census of which the relevant figures have been published" (अन्तिम पूर्ववर्त्ती जनगणना जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं) शब्द रखे जायें।' "

संशोधन स्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्ष:** सूची 4 का संशोधन संख्या 62 । प्रस्ताव यह है:

"कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2249 और 2250 के उल्लेख सहित अनुच्छेद 149 के खण्ड (3) में 'every lakh' (प्रत्येक

लाख) के स्थान में 'every seventy-five thousand' (प्रत्येक पचहत्तर हज़ार) शब्द रख दिये जायें।"

संशोधन स्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्षः** श्री बारदोलोई के अल्पकाल सूचित संशोधन द्वारा संशोधित रूप में संशोधन संख्या 2252 पर अब हम आते हैं जो इस प्रकार है:

"कि संशोधनों की सूची के संशोधन 2252 के उल्लेख सहित 'autonomous districts of Assam' (आसाम के स्वायत्तशासी-मण्डलों) के पश्चात् (और शिलोंग की म्यूनीसिपल्टी और छावनी का निर्वाचन-क्षेत्र) शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्षः** सूची 4 का संशोधन 66। प्रस्ताव यह है:

"कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2256, 2257 और 2258 के उल्लेख सहित अनुच्छेद 149 के खण्ड (3) के परादिक में 'three hundred' (तीन सौ) शब्दों के स्थान में 'five hundred' (पांच सौ) शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्षः** डॉ. अम्बेडकर ने अपने संशोधन संख्या 2255 को वापिस करने की अनुमति सभा से मांगी थी। क्या वह अनुमति दे दी गई?

***माननीय सदस्यः** जी हां।

***उपाध्यक्षः** सूची 2 का संशोधन 49। वह रुक जाता है।

इसके पश्चात् हम संशोधन 2256 पर आते हैं।

प्रस्ताव यह है:

"कि अनुच्छेद 149 के खण्ड (3) के परादिक में 'three hundred' (तीन सौ) शब्दों के स्थान में 'four hundred and fifty' (चार सौ पचास) शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्षः सूची 1 का संशोधन 35 ।

परिषद् की अनुमति से संशोधन वापिस किया गया।

***उपाध्यक्षः** सूची 4 का संशोधन 67 । प्रस्ताव यह है:

"कि अनुच्छेद 149 के खण्ड (3) के पश्चात् निम्न नया खण्ड प्रविष्ट किया जाये:

'(3-a) The ratio between the number of members to be allotted to each territorial constituency in a State and the population of that constituency as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, so far as practicable, be the same throughout the State.' "

[(3-क) किसी राज्य के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र में नियत की जाने वाली सदस्यों की संख्या और इस निर्वाचन-क्षेत्र की उस पूर्ववर्त्ती जनगणना द्वारा निश्चित जनसंख्या में, जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, अनुपात यथासम्भव समस्त राज्य में समान होगा]

संशोधन स्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्षः** संशोधन संख्या 67 पर एक संशोधन है, पर वह रुक जाता है।

प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके संशोधन संख्या 2263 पर मत लूं? उसका संख्या 67 द्वारा संशोधन हो चुका है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** अब उस पर मत लेना आवश्यक नहीं है।

***उपाध्यक्षः** अब मैं वर्तमान रूप में अनुच्छेद पर मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है:

"कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 149 विधान का अंग माना जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 149 विधान का अंग माना गया।

***उपाध्यक्षः** एक घोषणा करनी है। मुझे प्रधान से यह पक्की सूचना तथा आदेश मिले हैं कि वे विधान-परिषद् का अगला अधिवेशन सोमवार ता. 16 मई

से करना चाहेंगे। कार्य-प्रणाली नियम के 19वें नियम के अनुसार प्रधान को तिथि नियत करने का अधिकार है, परन्तु तीन दिनों से अधिक समय के लिये वे सभा का स्थगन नहीं कर सकते हैं। अतः नियमानुसार इसकी घोषणा करने के लिये मैं सभा की अनुमति मांगता हूं।

***पं. लक्ष्मीकान्त मैत्रः** वे पहले से ही तिथि नियत करना क्यों चाहते हैं?

***उपाध्यक्षः** खेद है कि मैं आपको इसका कोई कारण नहीं बता सकता हूं।

***माननीय श्री के. सन्तानमः** सभा के समक्ष प्रस्ताव रखने और उसके स्वीकार करने से यह तिथि नियत की जा सकती है।

***माननीय श्री सत्यनारायण सिन्हाः** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि सभा 16 मई तक के लिये स्थगित रहे।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्षः** सोमवार ता. 16 मई तक सभा स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् सोमवार, ता. 16 मई, सन् 1949 तक
के लिये सभा स्थगित हुई।